

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 767 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

Abhay Jain

...Applicant

Versus


State of Madhya Pradesh

...Respondent(s)

INDEX

Sr No.	Description	Pg No.
1.	Report of Joint Committee dated 01.02.2023 in Compliance of Order dated 04.01.2023 Of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in OA No. 767 Of 2022	1

FILED BY



RAGHAV SHARMA

Advocate for Respondent i.e., MPPCB

Address: Basement, B5-202, Safdarjung Enclave,

New Delhi - 110029

Ph. No.: (+91)-8527066461;

Email: raghav@srcolegal.in

**REPORT OF JOINT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 04.01.2023 OF HON'BLE NGT, PRINCIPAL BENCH NEW
DELHI IN THE MATTER OF OA NO. 767 of 2022 (ABHAY JAIN V/s
STATE OF MADHYA PRADESH)**

Date of Inspection: 01.02.2023



TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Content	Page No.
1.	1.0 PREAMBLE	
2.	2.0 CONSTITUTION OF THREE MEMBER COMMITTEE	
3.	3.0 APPROACH	
	3.1 Meeting among the members	
	3.2 Grievance hearing of applicant during the visit	
	3.3 Site and surrounding visit	
	3.4 Recommendation	
4.	ANNEXURES 1. NGT Order dated 04/01/2023 2. Attendance sheet 3. DTPC Letter 4. Location Map	1

1.0 PREAMBLE

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi passed an order in the matter of Abhay Jain V/s State of Madhya Pradesh [O.A. No. 767 of 2022] on 04th Jan, 2023 regarding a Cafeteria is running within the Notified area of Madhav National Park in violation of environmental laws and causing damage to environment. It is said that badhaiya kund is a wellknown tourist spot in Shivpuri District. It is a pool formed by water falling from a natural spring onto a temple roof before getting collected in the form of kund. Water from Bhadaiya kund flows into the Chandpatha Lake (also known as Sankhya Sagar), which is a lake inside Madhav National Park, which receives water from Jadhav Sagar Lake and Bhadaiya Kund. The area of Bhadaiya kund is divided into two parts i.e. Upper Kund and Lower Kund. The copy of Hon'ble NGT order dated 04.01.2023 is enclosed at **Annexure -1.**

2.0 CONSTITUTION OF THREE MEMBER COMMITTEE

The Hon'ble NGT vide order dated 04th Jan, 2023 asked for a factual and action taken report from a joint committee comprising of State PCB, Shivpuri Municipal Council & Chief Wildlife Warden, State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

The order states that-“The basic grievance is that a Cafeteria is running within the Notified area of Madhav National Park in violation of environmental laws and causing damage to environment. It is said that badhaiya kund is a wellknown tourist spot in Shivpuri District. It is a pool formed by water falling from a natural spring onto a temple roof before getting collected in the form of kund. Water from Bhadaiya kund flows into the Chandpatha Lake (also known as Sankhya Sagar), which is a lake inside Madhav National Park, which receives water from Jadhav Sagar Lake and Bhadaiya Kund. The area of Bhadaiya kund is divided into two parts i.e. Upper Kund and Lower we find it appropriate to obtain a factual report, for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB, Shivpuri Municipal Council and Chief Wildlife Warden who shall submit a report with remedial actions taken, if any, within two months.”

MEMBERS OF THE COMMITTEE:

In compliance to the order of the Hon'ble NGT, Three member committee constituted with following members-

1.	Shri H.S.Malviya, Regional Officer, MPPCB Gwalior	Member and Nodal Officer
2.	Shri Anil Soni, Asst. Director, Madhav National Park Shivpuri	Member
3.	Dr. K.S.Sagar, CMO Shivpuri	Member


3.0 APPROACH

The committee adopted following approach:-

1. Meeting among the members
2. Grievance hearing of applicant during the visit
3. Site and surrounding visit
4. Recommendation

LOCATION

Bhadaiya Kund Shivpuri



The committee visited the Bhadaiya kund area & surrounding on 01.02.2023 to find the factual status of the grievances along with the applicant. Various locations were inspected.

3.1 Meeting among the members :

The committee before visiting the site discussed the issue regarding ownership of the land under Bhadiya Kund Project. The copy of attendance of sheet is as per **Annexure-2**. The ACF Shri Anil Soni claimed that this land belongs to Madhav National Park as per Notification Dated 12/09/1958. Copy of the same is displayed below.



Madhav National park Notification 1958

APPENDIX - I

12th September 1958

M.P. Gazette Part IV

Page 544

78 THE MADHYA PRADESH NATIONAL PARKS ACT, 1955.
(VII OF 1955)

- Section I "(1) For Sub Section (2) Substitute
 "(2) It extends to and shall be in force in the whole of Madhya Pradesh."
- Schedule: Add the End.
 "Shivpuri National Park."

(S.S.P. Stands for Survey Station Pillar)

NORTH: From S.S.P. No. 296 To S.S.P. No. 361 along the boundaries of village Budhwari and Bara and the demarcation line of the Satanwada block.

EAST: From S.S.P. No. 361 along the demarcation line upto S.S.P. No. 376, and from the Satanwada block and S.S.P. No. 376 to S.S.P. No. 1 and from S.S.P. No. 1 to S.S.P. No. 18 along the demarcation boundary line of the Satanwada block, and from S.S.P. No. 18 to S.S.P. No. 20 along the Bombay-Agra road and the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 20 to S.S.P. No. 25 along the demarcation of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 25 to S.S.P. No. 26 the line along the whole of Bhurakho Nala, and from S.S.P. No. 26 to S.S.P. No. 65 along the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 65 to S.S.P. 76 along the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 76 to S.S.P. No. 80 along the Raisingh Road, and from S.S.P. No. 80 to S.S.P. No. 86 along Shivpuri Jhansi road, and from S.S.P. No. 86 to S.S.P. No. 100 along the bank of Madhav Lake channel so as to exclude the Madhav Lake and along the demarcation line of

सहायक संचालक
मध्य राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

the Chironji block, and from S.S.P. No. 100 to S.S.P. No. 123 along the demarcation line of the Chironji block.

- SOUTH:** From S.S.P. No. 123 to S.S.P. No. 140 along the cut fire line of the Chironji block.
- WEST:** From S.S.P. No. 140 to S.S.P. No. 147 along the cut line of the Chironji block, and from S.S.P. No. 147 to S.S.P. No. 148 along the demarcation line of the Chironji block, and from S.S.P. No. 148 to S.S.P. No. 167 along the demarcation line of the Ludhawali block, and from S.S.P. No. 167 to S.S.P. No. 169 along the cut line of the Ludhawali block upto the rear of the Hailey block, and from S.S.P. No. 169 to S.S.P. No. 182 along and inclusive of the Johnston road and from S.S.P. No. 182 to S.S.P. No. 186 along the fire line and the common boundary of the Ludhawali and Chironji blocks, and from S.S.P. No. 186 to S.S.P. No. 193 along the Shivpuri - Jhansi road and the Chironji block lines, and from S.S.P. No. 193 to S.S.P. No. 199 across the karbala bridge along the road, and from S.S.P. No. 199 to S.S.P. No. 206 along the cut line from the rear of the Forest Training School, and from S.S.P. No. 206 to S.S.P. No. 210 along the Juju Baba road and the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 210 to S.S.P. No. 213 along the side of the Raghunath Dinkar Rao Road, and from S.S.P. No. 213 to S.S.P. No. 235 along the demarcation of the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 235 to S.S.P. No. 250 upto Chak Kathmai along the internal line of the forest village, and from S.S.P. No. 250 to S.S.P. No. 255 along the Bombay Agra road and the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 255 to S.S.P. No. 269 along the demarcation line of the Satanwada block, and from S.S.P. No. 269 to S.S.P. No. 276 along the cut line of the Mudhari jagir forest and from S.S.P. No. 276 to S.S.P. No. 296 along the Satanwada block demarcation line, the Western boundary line passes along the boundaries of the village Badagaon, Ludhawali forest Village, Sheopuri, Thakurpura, Chak Kathmai forest village Binega and Amarkhoa.

राज्य सरकार
राज्य सचिवालय, शिवपुरी

The notification is not in original form and having no map delineating the area of reserve forest and revenue.

During discussion the nodal officer of DTPC Shri Birendra Singh Dhakar informed that the area of Bhadiya Kund is allocated to the council for tourism activities by District Collector since this land belongs to revenue department. Shri Birendra Singh submitted the copy of allotment of Bhadiya Kund cafeteria to DTPC by district collector which is as per **Annexure-3**. He also informed that as per the work order to operator of cafeteria and by-laws of DTPC, we are maintaining the cleanliness and the compliance of direction issues time to time by regulatory agencies. Patwari Shri Jai Kumar Dubey from Shivpuri informed that this land belongs to revenue department and submitted the Khasra No./Survey Details along with Map annexed at Annexure No. 4. He also informed that these documents and map based on the "BANDOFAST"

3.2 Grievance hearing of applicant during the visit:

The complainant Shri Abhay Jain explained the environmental concerns before the committee like issue of Garbage Disposal, Noise Pollution by DJs and High Beam Lights in the eco-sensitive areas etc. He also emphasized that these activities are the violation of the conditions of agreement of DTPC with the operator.

3.3 Site and surrounding visit:

After discussion the committee visited the site. It was observed that presently the sight is almost unattended and management of garbage and cleanliness has not been done properly.

The nodal officer of DTPC informed that while operating the cafeteria, it was maintained properly. Since presently non-operation of the cafeteria, maintenance is required. The committee observed that the cafeteria size is about 15 feet by 20 feet in size, garbage littering in the cafeteria and water body in downstream of the Bhadiya Kund.



Upper part of Bhadaiya Kund



Lower Part of Bhadaiya Kund



Cafeteria of the Bhadaiya Kund



Chandpatha Lake

3.4 Recommendation:

After visit and detailed discussion and looking to the eco-sensitive and forest area, the committee mailed the following recommendations:

1. The owner of the Bhadiya Kund cafeteria shall maintain this area free from plastic and clear guidelines and notification in this regard should be issued by DATCC/Collector Shivpuri.
2. The operator of the cafeteria shall comply with the guidelines of noise pollution control and the equipment used for the purpose and the timelines and the noise level should be as per the supreme court guidelines. The quarterly compliance report in this regard should be submitted by DATCC to the Collector and Director of Madhav National Park.
3. The operation period of the cafeteria should be decided as per the seasonal variations in consultation with CF, Madhav National Park & District Collector.

4. The cafeteria operator shall not deploy the flood lights during non-operation period.
5. The Mandir located in Bhadiya Kund area is maintained by private pujari should be asked to maintain cleanliness and sweeping shall not be disposed into water bodies & shall maintain the record of peoples visiting the mandir & avoid the illicit activities.
6. In the Bhadiya Kund area ritual activities like hair cutting, puja samagri etc. shall not be disposed in the water body. Local body or DTPC shall make the arrangement for collection of disposal of such waste.
7. The municipality shall make the arrangement for collection and disposal of sweeping from the cafeteria and Bhadiya Kund area on regular basis.
8. Committee observed that water treatment plant backwash water is flowing through the Bhadiya Kund area containing sludge and other pollutants which need to be removed from Backwash and water should recycled in water treatment plant. The operator of water treatment plant/CMO.


(H. S. Malviya)
Regional Officer
MPPCB, Gwalior


(Anil Soni)
ACF
Madhav National Park
SHIVPURI


(Dr. Keshav Singh Sagar)
CMO
Nagar Palika Parisad Shivpuri

Annexure-01

Item No. 6

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 767/2022

Abhay Jain

Applicant

Versus

State of Madhya Pradesh

Respondent

Date of hearing: 04.01.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Application is registered based on a complaint received by e-mail

ORDER

1. This original application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition dated 10.06.2022 received from Shri Abhay Jain, Advocate and co-founder Zenith-Society for Socio-Legal Empowerment, Pili Kothi, Kamlaganj, Shivpuri, Madhya Pradesh.

2. The basic grievance is that a Cafeteria is running within the Notified area of Madhav National Park in violation of environmental laws and causing damage to environment. It is said that Badhaiya Kund is a well-known tourist spot in Shivpuri District. It is a pool formed by water falling from a natural spring onto a temple roof before getting collected in the form of kund. Water from Bhadaiya kund flows into the Chandpatha Lake (also known as Sankhya Sagar), which is a lake inside Madhav National Park, which receives water from Jadhav Sagar Lake and Bhadaiya Kund. The area of Bhadaiya kund is divided into two parts i.e. Upper Kund and Lower

Kund. The Uppar Kund area comes under the jurisdiction of Munic Council, Shivpuri while Lower Kund area falls within the notified area of Madhav National Park. District Tourism Promotional Council had allowed construction of a Lake View Cafeteria in the Lower Kund area which falls in Madhav National Park jurisdiction and while running the said Cafeteria, dumping of solid waste in open is causing damage to environment besides high beam lights used in the Cafeteria in the night disturbs wildlife in the region. In support of the complaint, some photographs have also been filed.

3. Considering the nature of the complaint, we find that a substantial question relating to environment for implementation of Scheduled enactments under NGT Act, 2010 has arisen. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report, for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB, Shivpuri Municipal Council and Chief Wildlife Warden who shall submit a report with remedial actions taken, if any, within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The report may also highlight about existence of similar type of other establishment, if any.

4. List for further consideration on 17.03.2023.

5. A copy of this order be forwarded to State PCB, Shivpuri Municipal Council and Chief Wildlife Warden by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

January 04, 2023
Original Application No. 767/2022
SN

Annexure-02

उपाधीति 33 पत्रक

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण नं. 0A/767/2022 (श्री अभय जैन निरुद्ध म.प्र. शासन) जांच दि. 01/02/2023 दौरान उपाधीत जांच समिति के अधिकारियों का उपाधीति पत्रक ।

क्र.	अधिकारियों के नाम	पद एवं विभाग	हस्ता
1)	एच.ए. एके. मालवीय	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रशासन विभाग	Handwritten signature
2)	अनिल सोनी	अवर संचालक, मणिक राष्ट्रीय सेवा विश्वपुरी	Handwritten signature Date: 01/02/2023
3)	वीरेंद्र बिंदु शास्त्री	नेशनल ग्रीन कोर (NATCC) दिल्ली	Handwritten signature Date: 11/2/2023
4.	डॉ. के.एस. सुगर	CMO, विश्वपुरी	Handwritten signature Date: 01/02/23
5.	रं. सतीश निगम	A.E., D.A.T.C.C.	Handwritten signature Date: 11/2/23
6.	सौरभ जी	A.N.O., DATCC (न. नेशनल ग्रीन कोर)	Handwritten signature
7.	राजपाल सिंह लुधियाना	लेखापाल DATCC	Handwritten signature
8.	अमर कुमार	पत्राही रा.वि.	Handwritten signature
9.	Abhay Jain	Advocate & Applicant ZENITH	Handwritten signature
10.	Abhinav Vijay Mangiya		Handwritten signature
11.	Braundhan Y		Handwritten signature
12.	D.V.S. Jaiswal	म.प्र. प्रशासन विभाग उपाधीति	Handwritten signature

Annexure-03

जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी

क्रमांक/डी.ए.टी.सी.सी./2023/ 278

शिवपुरी, दिनांक 01.02.2023

भदैयाकुण्ड के संबंध में टीप

विषय- भदैयाकुण्ड के संबंध में एन.जी.टी. द्वारा गठित टीम को जानकारी दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भदैयाकुण्ड स्थित कैफेटेरिया राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्वे क्रमांक 1485 राजस्व अभिलेख में दर्ज है, इसका प्रतिवेदन तहसीलदार के पत्र क्रमांक/रीडर/2020/454 दिनांक 06.10.2020 में उल्लेखित है। (संलग्न 1-16 पेज)

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी के पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/2297 शिवपुरी दिनांक 15.12.2020 में संलग्न नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया गया जो कि मध्यप्रदेश नेशनल पार्क एक्ट 1955 के तहत सितम्बर 1998 में नोटिफिकेशन हुआ जिसमें भी एस.एस.पी नं. 193 से एस.एस.पी नं. 199 across the karbala bridge along the road, दर्ज है इससे स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक सीमा नाला जिसपर करबला ब्रिज बना हुआ है उसके पूर्व दिशा में नेशनल पार्क एवं पश्चिम दिशा में राजस्व क्षेत्र है जिसमें भदैयाकुण्ड स्थित है। (संलग्न 16-18 पेज)

वर्ष 2017 में कैफेटेरिया निर्माण के पश्चात संचालन एवं संधारण का कार्य हेतु डी.टी.पी.सी कार्यालय द्वारा कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न की गई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति में कैफेटेरिया के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की सहमति प्रदान की गई। तथा निविदा सूचना 12.01.2017 को जारी की गई। (संलग्न 19-25 पेज)

अगस्त 2022 में निविदा आमंत्रण करने हेतु डी.ए.टी.सी.सी की बैठक में निर्णय लिया गया उसी के पालन में विद्यार्थीनि निविदा आमंत्रित की गई निविदा स्वीकृति हेतु विद्यार्थीनि है, निविदा स्वीकृत पश्चात अग्रिम कार्यावाही की जावेगी। (संलग्न 52-59 पेज)

भदैयाकुण्ड के समीप ही म.प्र. टूरिज्म विभाग का टूरिस्ट विलेज होटल बना हुआ है जिसके लिए भी भूमि का अलोटमेंट राजस्व का होकर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा ही किया गया था, जिनकी उक्त भूमि भी माधव नेशनल पार्क के नक्शे में परिलक्षित हो रही है इससे स्पष्ट होता है कि माधव नेशनल पार्क के नक्शे में कहीं न कहीं तो त्रुटि है।

भदैयाकुण्ड का संचालन जबतक डी.ए.टी.सी.सी के द्वारा कराया जा रहा था तब साफ सफाई एवं पर्यावरण के मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा था वर्तमान में चूंकि नेशनल पार्क की आपत्ती के बाद कैफेटेरिया तथा संचालन बंद होने से यहां पर साफ सफाई नहीं हो रही है ना ही पर्यावरण मानकों का ध्यान रखा जा रहा है।

भदैयाकुण्ड का संचालन डी.ए.टी.सी.सी के द्वारा साफ सफाई के साथ-साथ पर्यावरण मानकों के साथ ही कराया जायेगा माननीय एन.जी.टी द्वारा जो दारेक्शन दिये जायेंगे उनका भी पालन किया जायेगा।

भदैयाकुण्ड से संबंधित अन्य दस्तावेज संलग्न है। (संलग्न 26-51 पेज)

नोडल अधिकारी/सचिव

जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी

(1)

कार्यालय तहसीलदार तहसील व जिला

क्रमांक/रीडर/2020/454

शिवपुरी दिनांक 10/10/2020

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
राजस्व अनुभाग शिवपुरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)


विषय:- भदैया कुण्ड का क्षेत्र राजस्व विभाग में होने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत।
संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्रमांक/122/डी.टी.पी.सी./2019 शिवपुरी दिनांक 13.12.2019

--000--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि भदैया कुण्ड क्षेत्र राजस्व विभाग के अंतर्गत है अथवा नहीं इस संबंध में ग्राम हल्का पटवारी से जांच कराई गयी। पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम शिवपुरी टुकड़ा नं. 02 तहसील शिवपुरी में भदैया कुण्ड जो वर्तमान कम्प्यूटर अभिलेख अनुसार सर्वे क्रमांक 1485 रकवा 0.021 हेक्टेयर खसरे के कॉलम नं. 03 में शासकीय एवं कॉलम नं. 02 में आबादी (गांवठान) दर्ज है एवं खसरे के कॉलम नं. 12 में भरईया कुण्ड दर्ज है। सर्वे क्रमांक 1536 रकवा 6.940 हेक्टेयर नोईयत शासकीय तालाब में केपेटेरिया निर्मित है, जो कि राजस्व अंतर्गत है और सर्वे क्रमांक 1485 भदैया कुण्ड होकर अधिकार अभिलेख वर्ष 1972-73 में उक्त भूमि आबादी दर्ज है।

अतः जांच प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

- संलग्न:- 1. पटवारी जांच रिपोर्ट
2. नक्शा अवस
3. वर्तमान खसरा प्रतिलिपि
4. अधिकार अभिलेख वर्ष 1972-73 की खसरा प्रतिलिपि


तहसीलदार
तहसील-शिवपुरी

(2)

प्रति

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
तहसील शिवपुरी,

विषय : अर्थात् कुंड का क्षेत्र राजस्व लिखात में होने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य।

संदर्भ : भारतीय जिला पंचायत सम्बंधित परिषद् शिवपुरी के एग्रा सुपां 1221 डी. लि. जी. सी. 12019 शिवपुरी दिनांक 23/12/2019 के पत्र पर।

महोदय,

उपरोक्त विषयों में विवेक है कि ग्राम शिवपुरी द्वारा न. 02 तहसील शिवपुरी में अर्थात् कुंड की वर्तमान काल्युक्ति अभिलेखांकन सं. 1485 ~~रकम~~ रकम 0.021 हेक्टर रकम के क्षेत्र न. 03 में शामिल एवं क्षेत्र न. 02 में आवादी (गाँव नं.) दर्ज है एवं रकम के क्षेत्र न. 12 में "भरईया कुंड" दर्ज है। सं. 1536 रकम 6940 है। जो कि सामूहिक तालाब में कुंठे/कुंठों के लिए है जो कि राजस्व संग्रहण के लिए सं. 1485 अर्थात् कुंड के अंतर्गत अभिलेख सं. 1972-73 में उक्त गाँव आवादी दर्ज है। अतः प्रतिवेदन लिखान की ही उम्मेद सकार प्रेषित है।

[Handwritten signature]

संलग्न
रकम प्रतिलिपि
आवादी अभिलेख सं. 1972-73 प्रतिलिपि रकम
अंकरा नं. 10

[Handwritten signature]
14/12/2019


(3)

3.

Handwritten notes in Tamil script, possibly describing a location or survey details.

Handwritten text in Tamil script, likely a title or section header.

Handwritten text in Tamil script, possibly a list of items or measurements.



1536

Handwritten notes in Tamil script, including the number 1972-73.

Handwritten text in Tamil script at the bottom left of the diagram.

9X3

Handwritten marks or symbols at the bottom right.

(5)

अधिकारी (मानव संसाधन)

१५३

श्री. विद्यालयालय, काशी

श्री. विद्यालयालय, काशी


काशी

काशी

१३२७	१३२८	२१३	०५४					
१३४०	१३४१	३५	०६६					
१३६३	१३०८	५९	००९०					
१४०५	१३२०	११५	०३९४					
१४०८	१३२३	५१२	११२					
१४४९	१३६३	१३	००८४					
१४६८	१४०७	११२	०१२५					
१४८५	१४३६	०२	००२९					

श्री. विद्यालय

श्री. विद्यालय



(5)

9800	9888	12
9894	9856	52
9828	9869	52
9825	9863	52
9830	9891	19
9884	9898	52
9884	9893	52
9889	9880	52
9882	9881	52
9855	9888	112
9809	9877	2119
9802	9825	2149

1981 May 11th
 1980 May 11th

(5)

9502	9525	12
6026	9522	0.062
9525	9528	52
2326	9521	0.029
9522	9524	52
9526	9529	0.029
9529	9532	19
9532	9535	0.023
9535	9538	52
9538	9541	0.029
9541	9544	52
9544	9547	0.029
9547	9550	52
9550	9553	0.029
9553	9556	52
9556	9559	0.029
9559	9562	52
9562	9565	0.029
9565	9568	52
9568	9571	0.029
9571	9574	52
9574	9577	0.029
9577	9580	52
9580	9583	0.029
9583	9586	52
9586	9589	0.029
9589	9592	52
9592	9595	0.029
9595	9598	52
9598	9601	0.029
9601	9604	52
9604	9607	0.029
9607	9610	52
9610	9613	0.029
9613	9616	52
9616	9619	0.029
9619	9622	52
9622	9625	0.029
9625	9628	52
9628	9631	0.029
9631	9634	52
9634	9637	0.029
9637	9640	52
9640	9643	0.029
9643	9646	52
9646	9649	0.029
9649	9652	52
9652	9655	0.029
9655	9658	52
9658	9661	0.029
9661	9664	52
9664	9667	0.029
9667	9670	52
9670	9673	0.029
9673	9676	52
9676	9679	0.029
9679	9682	52
9682	9685	0.029
9685	9688	52
9688	9691	0.029
9691	9694	52
9694	9697	0.029
9697	9700	52

~~THE NEW FIRM~~
~~THE NEW FIRM~~
~~THE NEW FIRM~~

6



भारत प्रदेश सरकार
राज्य न्यायिक
दफ्तर

REG. NO. 1105110200002142000369

क्र.सं./श्रेणी	व.सं.	व.सं.	व.सं.		व.सं.		व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.
			व.सं.	व.सं.	व.सं.	व.सं.						
1485	0.0210	संशुद्धी 1	0.0210	(संशुद्धी)								

(Handwritten mark)



मध्य प्रदेश राज्यपालाधीन प्रशासिक
कार्य विभाग
भारत

क्र. प्र. अ. र. 1105110200002142000370

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	वर्ष									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536	6,9400 अथवा 6,9400	(अस्थायी)										

1/2022/DATCC-(SVP)

कार्यालय जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)संसांक/डीएटीसीसी/2022/197/F 47
दिनांक

शिवपुरी दिनांक-10-09-2022

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक,
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरीविषय-
संदर्भ-

भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थित कैफेटेरिया निर्माण एवं संचालन के संबंध में।
कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी दक्षिण, नारा.उ. शिवपुरी का पत्र क्र. 408 दिनांक
25.03.2019 व पत्र क्र. 462 दिनांक 02.04.2019 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
एवं संचालक, नारा.उ. शिवपुरी का पत्र क्र.स्टेनो/2019/662 दिनांक 12.04.19

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से वन परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण, माधव राष्ट्रीय
उद्यान द्वारा नोडल अधिकारी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद जिलाशिवपुरी के नाम निम्न बिन्दुओं पर
जानकारी चाही गयी है।

1. भदैया कुण्ड पर संचालित कैन्टीन संचालन दस्तावेज एवं मासिक किराया की राशि राष्ट्रीय उद्यान के खाते में जमा कराने।
2. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है क्या इस संबंध में आपके द्वारा वन विभाग से किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई, यदि हां तो संबंधित दस्तावेज की प्रति।
3. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी में आपके द्वारा कब से कब तक अनुबंध किया गया।
4. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी को दिन में किस समय से किस समय तक कैन्टीन के संचालन की अनुमति दी गई व उसका पूर्ण उल्लेख।

उक्त के संबंध में सहस्रीलदार से प्रतिवेदन लिया गया व राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि राजस्व की होकर नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत आती है। इसलिये उपरोक्त कंडिकाओं में किराया आदि राष्ट्रीय उद्यान के उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है, कि डीएटीसीसी कमेटी व सीसीएफ नेशनल पार्क डीएफओ भी सदस्य हैं तथा 2017 संचालन प्रारंभ से ही समिति के बैठकों में ही हर प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें तत्समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः आप संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी को निर्देशित करें कि उक्त पत्र लिखने के आधार दस्तावेज सहित अगोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक 10/09/2022 को समक्ष उपस्थित होकर अनिवार्यता प्रस्तुत करें।

Signed by Akshay Kumar
Singh

Date: 07-09-2022 21:44:11

रक्षक/अधीक्षक

जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
शिवपुरी (म.प्र.)

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datcshivpuri@gmail.com)

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/ 197/ F-47

शिवपुरी दिनांक:- 10.09-2022

वति,

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक,
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरीविषय:-
संदर्भ:-

भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थित कैफेटेरिया निर्माण एवं संचालन के संबंध में।
कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी दक्षिण, मा.रा.उ. शिवपुरी का पत्र क्र. 408 दिनांक
25.03.2019 व पत्र क्र. 462 दिनांक 02.04.2019 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
एवं संचालक, मा.रा.उ. शिवपुरी का पत्र क्र./स्टेनो/2019/662 दिनांक 12.04.19

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से वन परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण, माधव राष्ट्रीय उद्यान द्वारा नोडल अधिकारी जिला पर्यटन संबंधन परिषद जिलाशिवपुरी के नाम निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है।

1. भदैया कुण्ड पर संचालित कैंटीन संचालन दस्तावेज एवं मासिक किराया की राशि राष्ट्रीय उद्यान के खाते में जमा कराने।
2. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है क्या इस संबंध में आपके द्वारा वन विभाग से किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई, यदि हां तो संबंधित दस्तावेज की प्रति।
3. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी से आपके द्वारा कब से कब तक अनुबंध किया गया।
4. लेकव्यू कैफेटेरिया भदैयाकुण्ड शिवपुरी को दिन में किस समय से किस समय तक कैंटीन के संचालन की अनुमति दी गई है उसका पूर्ण उल्लेख।

उक्त के संबंध में तहसीलदार से प्रतिवेदन लिया गया व राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि राजस्व की होकर नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत आती है। इसलिये उपरोक्त कंडिकाओं में किराया आदि राष्ट्रीय उद्यान को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि डीएटीसीसी कमेटी में सीसीएफ नेशनल पार्क/ डीएटीसीसी भी सदस्य है तथा 2017 संचालन प्रारंभ से ही समिति की बैठकों में ही हर प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें तत्समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः आप संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी को निर्देशित करें कि उक्त पत्र लिखने का आधार दस्तावेज सहित अपोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक 19.09.2022 को समक्ष में उपस्थित होकर अतिचारिता प्रस्तुत करें।

Signed by Akshay Kumar
Singh

Date: 07-09-2022 21:44:11

Rकार्यालय पर्यटन

जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
शिवपुरी (म.प्र.)

8

3

एल०के० मिश्रा
डिप्टी कमिश्नर

बर्ड एंजाइन नम 50 एन/एन-2/बर्डन्याय/444
कौन्सिलर कठन रिवापुरी
रिवापुरी, दिनांक 25/3/82

क्र. 90/82
20-3-82

महोदय एंजाइन बर्डन्याय निवास द्वारा रिवापुरी में बर्डन्याय
ग्राम बनाया गया निश्चित किया गया है। बीर बत हेतु बत निवास से 15 एन
एनएम बर्ड राजस्थान निवास की 4566 एनएम निवास बनाया गया निश्चित
हो गया है।

बर्डन्याय ग्राम के लिये बत की गई उपरोक्त एनएम के मध्य में लोडा
वाटर केवरी की भी एनएम वाली है। इस एनएम का मानचित्र बर्ड उतका सुन्वयन
भी किया जाना है।

बत: बर्ड उतका संवाक उभी दूध के लक्षण के अनुसार का
सुन्वयन कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन निम्नलिखित में भेजने की
सुझाव देवता करें।

आपकी

एल०के० मिश्रा

इति,

भी बतकी राजा
नोडिनिवास संवाक उभी दूध-1
रिवापुरी।

प्रतिनिधि:

उतका संवाक उभी दूध रिवापुरी की बीर उचित कर निश्चित है कि लोडा
वाटर केवरी हेतु बत की गई एनएम तथा अन्य शासन की बर्डन्याय ग्राम के
उत्प्रेषण के लिये देने में उन्हें कोई आपत्ति है यदि नहीं तो बत हेतु बर्ड उतका
बत की सुझाव। सुझाव एनएम उतका कराने का कष्ट करें बत की कार्यवाही
की नोड निवास निवास उतका -1 की भाव के सुन्वयन में सुझाव देने का
भी कष्ट करें।

12

श्री एन. ए. उतका
से बत उतका

एल०के० मिश्रा
डिप्टी कमिश्नर रिवापुरी

संख्या ... (10)

24/5/82

कार्यालय बलेश्वर शिवपुरी जिला
मुख्यालय पर्यटन शिवपुरी दि. 23/5/82

प्रति
कार्यालय में
ला. नि. नि. विभाग
नगरपालिका (ब.प. I शिवपुरी)

नि-का. 1

विषय:- शिवपुरी पर्यटन ग्राम के आवरण में।

पत्र सं. 50-3082/जनरल पर्यटन ग्राम/44/31
दि. 25/3/82, (मातृ सं. 2813/82)

उपरोक्त तस्दीगी वता कृपया इन तस्दीगी
कार्ये हुए कोरफते, ^{मागसि} फुल्लोचन प्रतिवेदन शीघ्र उपरोक्त
कार्ये की व्यवस्था को ताक शासन को भेजा जायेक।

(7)

Dy Collector
for Collectorshippur

प्रतिस्ति

उपरोक्त संज्ञालोक-द्वारा शिवपुरी उपरोक्त तस्दीगी
के-उम में कृपया इनकेसित उतर भिजवाने को कष्ट करें

M
Dy Collector
for Collectorshippur

क्यू/जन२/पर्यटन/४

डी. प्र. माधु
 फाल्गुन एड वि मजि
 जयपुरी

6/5/82

4. विषय:- गावपुरी पर्यटन ग्राम के लिए सोडोवाटर फैक्ट्री के भवन का मूल्यांकन प्रतिवेदन ।

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के अर्थ शासकीय पत्र क्रमांक क्यू/जन२/पर्यटन ग्राम /44/80 दिनांक 23-3-82 भेजकर अनुरोध किया गया था कि विषय अधीन भवन का मूल्यांकन कराकर प्रतिवेदन 7 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये । उत्पत्तिसमय स्मरण पत्र दिनांक 28-3-82 एवं 23-4-82 द्वारा आपसे उपरोक्त प्रतिवेदन वाह किया । साथही साथ आपसे मेरी इस विषय में कर्षा भी हो चुकी है ।

इसलिये मैं वास्ता हू कि आप व्यक्तिगत ध्यान देकर उपरोक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन यथा तीव्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि पर्यटन विभाग को तत्काल देखा जा सके ।

भवदीय,

डी० एस० माधु

प्रति,
 श्री आर० जी० शर्मा
 कार्यपालन यंत्री
 लोक निर्माण विभाग
 भवन तथा एड एंड
 गावपुरी

(12)

(12)

प्रतिलिपि:-

श्री दीवान सुरेन्द्र नाथ जी, प्रधान संवाक छत्री ट्रस्ट में
 शिवपुरी कृषया इस कार्यालय के पूर्व में आपको भेजे गए पत्र
 क्रमांक क्यू/जन२/पर्यटनग्राम/४४/८० दिनांक २५-३-८२ तथा
 २३-४-८२ के क्रम में लोडावाटर फेवरी भूमि तथा भवन के
 शासन को विक्रय किए जाने का बत बचना अभिमत शर्तें यदि
 कोई हो के साथ तत्काल भिजवाने की कृपा करें।

[Signature]
 कलेक्टर ६५

मंडल शिवपुरी

[Signature]

11.5.1982

Shri B.S. Mathur, IAS
Collector & District Magistrate
Shivpuri.

Dear Sir,

During our joint visit to the Soda Water Factory site on 11.5.82, I had shown you the ~~Tourist~~ Trust land and Boat House adjacent to the Soda Water factory which the Trust has agreed to handover to the proposed Tourist Village Complex.

As 'Bhadya Kund' is also proposed to be taken over for proper maintenance and beautification I suggest that the Trust's adjacent land and Boat House be also taken over by the Tourist Village Complex. With proper land scaping and beautification this will provide very nice promenade and pier for boating and other use by the Tourist Village.

The Trust will be agreeable to handover this property also on payment of valuation as assessed by Government which may kindly be intimated.

Thanking you.

Yours faithfully,


DWAN SURINDAR LAL
Managing Trustee

13.5.1982

Shri D.S. Mathur, IAS
Collector & District Magistrate
Shivpuri.

Sub: Handing over of Soda Water Factory land
and Buildings to the Shivpuri Tourist
Village.

Dear Sir,

Reference your letter No. 2/Jan2/Paryat/44 dated 23.4.82 and a copy of your endorsement dated 6.5.82 of your letter to the Executive Engineer, PWD and our subsequent inspection of the site on 11.5.82, I am to intimate that our Trust is agreeable to the handing over and transfer of the above land and building for the Tourist Village Complex on payment of compensation for the land and building as assessed by the Government.

I will be obliged if you can kindly intimate the amount of assessed valuation so that a formal Resolution can be passed by the Trust for the handing over of the above land and building on receipt of the compensation.

As you are aware the Trust has its boats in the 'Sakhya Sagar' lake and we would like it to be stipulated and agreed to in writing that we would continue to have unrestricted access to the docking area of the boats.

Thanking you.

Yours faithfully,


DIWAN SURINDAR LAL
Managing Trustee

कार्यालय कलेक्टर मण्डल गिावपुरी

क्रमांक क्यू/जन-2/पर्यटन ग्राम/44 बी/80

गिावपुरी, दिनांक 5/1/82

प्रति,

श्रीयुत दीवान सुरेन्द्र लाल जी,

मेनेजिंग ट्रस्टी,

छत्री ट्रस्ट गिावपुरी ।

विषय:- सोडा वाटर फैक्ट्री भवन एवं भूमि का मूल्य विषयक ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक निल दिनांक 13-5-82 •

0

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सोडा वाटर फैक्ट्री के भवन का मूल्यांकन गिावपुरी लोक निर्माण विभाग द्वारा रुपये 82550/- अठ्यासी हजार पाँच सौ पचास प्रतिवेदित किया है । तथा वोट हाऊस का मूल्यांकन प्रतिवेदन लोक निर्माण विभाग गिावपुरी से अपेक्षित है । सुवनार्थ ।

कलेक्टर द्वारा निर्देशित है ।

डिप्टी कलेक्टर,

वास्ते कलेक्टर मण्डल गिावपुरी



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

☎ 07492-223379, Fax: 07492-223379, E-mail- fdmnp.svp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि/2020/2297

शिवपुरी, दिनांक/15-12-2020

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,

(राजस्व)

एवं नोडल अधिकारी, जिला पुरातत्व एवं

पर्यटन परिषद, शिवपुरी

विषय :- माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के भदैयाकुंड क्षेत्र में बिना अनुमति के कैंफेरेरिया संचालन बावत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.नि/1718 दिनांक 26.9.2020 एवं आपका पत्र क्रमांक/76/डी.ए.टी.सी./2020 दिनांक 1.12.2020

—00—

विषयांतर्गत माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के गठन की अंतिम अधिसूचना म.प्र. नेशनल पार्क एक्ट 1955 के तहत म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 1958 को जारी की गई थी, जिसमें भदैया कुंड क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया था (नोटीफिकेशन की संलग्न है) तथा भदैयाकुंड क्षेत्र की सीमा पर वर्ष 1958 से आज तक पत्थर की दीवार भी बनी हुई है।

वर्ष 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान के गठन के समय माधव राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किये गये भदैया कुंड क्षेत्र सहित सम्पूर्ण क्षेत्र की नक्शिका राजस्व अभिलेखों में माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की जाना थी, जो आज तक नहीं की गई, जिसके कारण आपके संदर्भित पत्र के अनुसार वर्ष 1972 में हुए बंदोबस्त के दौरान भी सर्वे नं. 1485 एवं 1536 के खसरे में उल्लेखित भदैया कुंड क्षेत्र को आबादी/शासकीय दर्शाया गया है।

अतः सर्वे नं. 1485 एवं 1536 के वर्ष 1953 की स्थिति में पुराने सर्वे नं., रकबा एवं राजस्व नक्शों की प्रमाणित प्रतियां इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उनका परीक्षण वन अभिलेखों से किया जाकर वस्तुस्थिति ज्ञात की जा सके।

संलग्न :- नोटीफिकेशन की छायाप्रति।

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक/15-12-2020

पृ.क्रमांक/मा.चि/2020/2298

प्रतिलिपि :- कलेक्टर, जिला शिवपुरी को ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

1676

17-12-20

12th September 1958

M.P. Gazette Part IV

Page 544

**78 THE MADHYA PRADESH NATIONAL PARKS ACT, 1955.
(VII OF 1955)**

Section I "(1) For Sub Section (2) Substitute

"(2) It extends to and shall be in force in the whole of Madhya Pradesh."

Schedule: Add the End.

"Shivpuri National Park."

(S.S.P. Stands for Survey Station Pillar)

NORTH: From S.S.P. No. 296 To S.S.P. No. 361 along the boundaries of village Budhwari and Bara and the demarcation line of the Satanwada block.

EAST: From S.S.P. No. 361 along the demarcation line upto S.S.P. No. 376, and from the Satanwada block and S.S.P. No. 376 to S.S.P. No. 1 and from S.S.P. No. 1 to S.S.P. No. 18 along the demarcation boundary line of the Satanwada block, and from S.S.P. No. 18 to S.S.P. No. 20 along the Bombay-Agra road and the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 20 to S.S.P. No. 25 along the demarcation of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 25 to S.S.P. No. 26 the line along the whole of Bhurakho Nala, and from S.S.P. No. 26 to S.S.P. No. 65 along the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 65 to S.S.P. 76 along the demarcation line of the Mamoni block, and from S.S.P. No. 76 to S.S.P. No. 80 along the Raisingh Road, and from S.S.P. No. 80 to S.S.P. No. 86 along Shivpuri Jhansi road, and from S.S.P. No. 86 to S.S.P. No. 100 along the bank of Madhav Lake channel so as to exclude the Madhav Lake and along the demarcation line of the Chironji block, and from S.S.P. No. 100 to S.S.P. No. 123 along the demarcation line of the Chironji block.

SOUTH: From S.S.P. No. 123 to S.S.P. No. 140 along the cut fire line of the Chironji block.

WEST: From S.S.P. No. 140 to S.S.P. No. 147 along the cut line of the Chironji block, and from S.S.P. No. 147 to S.S.P. No. 148 along the demarcation line of the Chironji block, and from S.S.P. No. 148 to S.S.P. No. 167 along the demarcation line of the Ludhawali block, and from S.S.P. No. 167 to S.S.P. No. 169 along the cut line of the Ludhawali block upto the rear of the Hailey block, and from S.S.P. No. 169 to S.S.P. No. 182 along and inclusive of the Johnston road and from S.S.P. No. 182 to S.S.P. No. 186 along the fire line and the common boundary of the Ludhawali and Chironji blocks, and from S.S.P. No. 186 to S.S.P. No. 193 along the Shivpuri - Jhansi road and the Chironji block lines, and from S.S.P. No. 193 to S.S.P. No. 199 across the karbala bridge along the road, and from S.S.P. No. 199 to S.S.P. No. 206 along the cut line from the rear of the Forest Training School, and from S.S.P. No. 206 to S.S.P. No. 210 along the Juju Baba road and the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 210 to S.S.P. No. 213 along the side of the Raghunath Dinkar Rao Road, and from S.S.P. No. 213 to S.S.P. No. 235 along the demarcation of the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 235 to S.S.P. No. 250 upto Chak Kathmai along the internal line of the forest village, and from S.S.P. No. 250 to S.S.P. No. 255 along the Bombay Agra road and the Mamoni block line, and from S.S.P. No. 255 to S.S.P. No. 269 along the demarcation line of the Satanwada block, and from S.S.P. No. 269 to S.S.P. No. 276 along the cut line of the Mudhari jagir forest and from S.S.P. No. 276 to S.S.P. No. 296 along the Satanwada block demarcation line, the Western boundary line passes along the boundaries of the village Badagaon, Ludhawali forest Village, Sheopuri, Thakurpura, Chak Kathmai forest village Binega and Amarkhoa.

डीटीपीसी द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :-

1. **"हमारा शिवपुरी हमारा गौरव कैलेण्डर 2017"** - शिवपुरी जिले के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर आधारित सचित्र रंगीन कैलेण्डर परिषद द्वारा छपवाया गया। उक्त कैलेण्डर की 2000 प्रतियां लक्ष्मीनारायण रामस्वरूप एंड कंपनी ग्वालियर द्वारा छपवाई जाकर डीटीपीसी को निःशुल्क प्रदान की गई एवं डीटीपीसी द्वारा 1500 प्रतियां छपवाई गई। जिस पर 70000/- रुपये व्यय हुआ। प्रति कैलेण्डर 150/- रुपये के मान से कैलेण्डर विक्रय किये गये। जिससे 210000/- रुपये की डीटीपीसी को आय हुई।

म.प्र.शासन के सम्माननीय समस्त मंत्रीगण, विधायकगण को उक्त कैलेण्डर की प्रतियां शुल्क विशेष वाहक के हस्ते प्रदाय की गई साथ ही म.प्र.शासन के सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश, माननीय शासकीय अधिवक्तागण, सभी संभागायुक्त, सभी जिले के कलेक्टर एवं स्थानीय स्तर पर सभी पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों आदि को निःशुल्क प्रदान की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जयपुर में आयोजित इंटरनेशन ट्रेवल बाजार जिसमें अंतराष्ट्रीय स्तर के ट्रेवल एजेन्ट्स टूर ऑपरेटरर्स, होटेलियर्स द्वारा भाग लिया गया, जिसमें उक्त कैलेण्डर प्रदर्शित/वितरण कराये गये।

2. **शरद महोत्सव** - जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तथा म.प्र.पर्यटन विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से शिवपुरी में पहली बार "शरद महोत्सव" का आयोजन स्थानीय टूरिस्ट विलेज डोला मारु परिसर शिवपुरी में 24 दिसम्बर 2016 को किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात गजल गायक श्री नवनीत कौशल एवं सुश्री भावना दुबे द्वारा सुगम संगीत का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उक्त महोत्सव में शिवपुरी के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लजीज व्यंजनों के साथ सुमधुर गीत-संगीत का भरपूर आनंद लिया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। कूपन से 236200/- रुपये की आय हुई। जिसमें 179279/- रुपये टूरिस्ट विलेज शिवपुरी को भोजन व्यवस्था की राशि, सांस्कृतिक कार्यक्रम 30000/- रुपये, रुपये 25000/- कूपन छपाई, हैण्डबिल, प्रचार प्रसार एवं 15000/- रुपये फ्लैक्स छपाई इस प्रकार कुल व्यय 249279/- रुपये हुए।

3. **मेला उत्साह 2017** - म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित तथा नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा संचालित टूरिस्ट वेलकम सेंटर छत्री रोड शिवपुरी को जनता के बीच पुनर्स्थापित कर आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए मेला "उत्साह-2017" का आयोजन नववर्ष एवं मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 7 जनवरी से 14 जनवरी तक किया गया। मेले में हेण्डीक्राफ्ट, खान-पान, आयुर्वेदिक दवाईयां एवं उत्पाद, के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स एवं घरेलू फर्नीचर की दुकानें भी लगी। उक्त मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज प्रतियोगिता, डांस, गीत गजल प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन मुशायरा आयोजित की गई। मेला प्राधिकरण भोपाल द्वारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के लिये तीन लाख रुपये आवंटित किये गये। उक्त राशि में से निम्नानुसार राशि व्यय की गई-सांस्कृतिक कार्यक्रम 25000/- रुपये, भजन संध्या 11000/- रुपये, लाईट एवं साउण्ड सिस्टम, स्टेज 38500/- रुपये, मंदिर हेतु सामग्री 30000/- रुपये, टेट, शामियाना, गेट 125000/- रुपये, प्रचार प्रसार, फ्लैक्स बैनर 25000/- रुपये, ईनाम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी 20000/- रुपये, स्टेशनरी आदि 10000/- रुपये, अन्य व्यय 15000/- रुपये इस प्रकार कुल व्यय तीन लाख रुपये व्यय हुआ है।

4. **जिला टूरिज्म मास्टर प्लान** - जिला टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 02.01.2017 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। 12.01.2017 तक निविदा आमंत्रित की गई, प्राप्त निविदा में न्यूनतम दर डिजाइन एंड प्लानिंग कंसल्टेंट भोपाल की 5.99 लाख रुपये न्यूनतम होने से स्वीकृत की गई। जिला टूरिज्म मास्टर

5. भदैया कुण्ड का सौन्दर्यीकरण -

नगर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भदैया कुण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य को परकरार रखते हुये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अनेक कार्य प्रस्तावित हैं। इस हेतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधायक मद से 10 लाख रुपये प्रदान किये गये एवं जनभागीदारी से 1140400/- रुपये इस राशि से निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं - 1. कैफेटेरिया निर्माण, 2. एम.एस.ग्रिल फेंसिंग, 3. फुट आर्च ब्रिज का निर्माण, 4. स्टॉप डेम कुण्ड पर रैलिंग एवं पाथ वे का निर्माण, 5. भदैया कुण्ड जहाज स्टेशन परिसर का एक्सटेंशन कर चिल्डन रिक्रियेशन जोन निर्माण, 6. लाईटिंग सौन्दर्यीकरण 7. स्टाप डेम कुण्ड पर पैडल बोट कार्य का संचालन आदि

भदैया कुण्ड में प्रस्तावित इलैक्ट्रीफिकेशन कार्य के लिये डीपीआर तैयार किये जाने हेतु श्री दिलीप व्ही धारकर इंदौर को इलैक्ट्रीकल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। श्री धारकर द्वारा बनाये गये एस्टीमेट पर लाईटिंग कार्य के टेण्डर जारी किये गये हैं।

भदैया कुण्ड परिसर शिवपुरी में बाह्य विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत स्थाई एवं विशेष प्रकाश सज्जा एवं विद्युत व्यवस्था निविदा राशि 3040750/- की निविदा दिनांक 03.04.2017 को प्रकाशित की गई थी। नियत दिनांक 20.04.2017 को दो टेण्डर प्राप्त हुये। अतः पुनः निविदा जारी होना है। उक्त कार्य माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त राशि एवं जनभागीदारी से कराया जावेगा।

6. शिवपुरी जिले के पर्यटक स्थलों एवं इतिहास पर डाक्यमेंट्री फिल्म का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यह फिल्म एक माह में बनकर तैयार हो जाएगी।

अन्य प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं :-

1. माधव चौक चौराहे का विकास - मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका शिवपुरी द्वारा निवेदन किया गया है कि माधव चौक चौराहे का विकास डीटीपीसी द्वारा करा दिया जावे। उक्त कार्य हेतु आर्कीटेक्ट से ड्राइंग- डिजाइन व ट्रेफिक के अनुसार चौराहे का प्लान तैयार कराने हेतु कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। यह कार्य डीटीपीसी डिपार्जिट वर्क के रूप में करेगी।
2. नरवर में नरवर उत्सव का आयोजन।
3. पर्यटक सुविधा केन्द्र सुरवाया गढी तथा नरवर किले पर आने वाले पर्यटकों को पर्यटक सुविधा केन्द्र स्थापित करना।
4. वीकेंड टूर का आयोजन।
5. जंगल सफारी एवं जंगल ट्रेकिंग।
6. शिवपुरी जिले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने हेतु हैरीटेज ट्रिप का आयोजन।
7. नरवर किले तक जाने के लिये रोप वे का निर्माण करना।
8. डीटीपीसी के व्यय पर रणथम्भौर, ग्वालियर व झांसी से टूर ऑपरेटर्स को शिवपुरी लाकर उन्हें भ्रमण कराना ताकि वे पर्यटकों को आने हेतु प्रोत्साहित कर सकें।
9. नगर पालिका के सहयोग से तात्याटोपे पार्क को विकसित कर प्रतिमा को पार्क में भव्य स्वरूप में स्थापित करना।
10. परिषद की लेखाओं के अंकेक्षण के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी समिति को अधिकृत करना।

उपर्युक्तानुसार कार्यों का अनुमोदन तथा प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

नोडल अधिकारी
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी

कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

// कार्यकारणी समिति //

कं.	नाम एवं पदनाम	दायित्व	संकेत/हस्ताक्षर
1	श्री तरुण राठी, कलेक्टर	अध्यक्ष	
2	श्री सुनील पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक	सदस्य	
3	श्री आर.एस. कोरी वनसंरक्षक, शिवपुरी	सदस्य	21/7/19
4	श्रीमती नीलू माधुर, सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी	सदस्य	
5	श्री रूपेश उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर	सदस्य सचिव	
6	श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी	सदस्य	
7	श्री दिनेश शौरी वरिष्ठ प्रबंधक एमपीटीडीसी शिवपुरी	सदस्य	
8	श्री ओ.एच. शर्मा, ई.ई.पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य	
9	श्री सहा.संचालक पुरातत्व विभाग	सदस्य	
10	श्री कंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	सदस्य	21/7/19 (निरण लिवाट) महा 971 5
11	श्री पवन जैन, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
12	श्री सोनी, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
13	श्री अशोक मोहिते, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
14	श्री मनोज महेश्वरी, पर्यटन एवं पुरातत्व विशेषज्ञ	सदस्य	
15	श्री अरुण अपेक्षित, पर्यटन एवं पुरातत्व विशेषज्ञ	सदस्य	



कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

// कार्यकारणी समिति //

कं.	नाम एवं पदनाम	दायित्व	मोबाइल नं.
1	श्री तरुण राठी, कलेक्टर	अध्यक्ष	8989270216
2	श्री सुनील पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक	सदस्य	9425470870
3	श्री डार. एस. झोरी वनसंरक्षक	सदस्य	9424794737
4	श्रीमती नीतू माथुर, सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी	सदस्य	9425481817
5	श्री रूपेश उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर	सदस्य सचिव	7747005111
6	श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी	सदस्य	9111355501
7	श्री दिनेश शौरी वरिष्ठ प्रबंधक एमपीटीडीसी शिवपुरी	सदस्य	9424796794
8	श्री ओ.एच. शर्मा, ई.ई.पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य	9425112142
9	श्री सहा.संचालक पुरातत्व विभाग	सदस्य	—
10	श्री कंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	सदस्य	9303439360
11	श्री पवन जैन, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	9425136466
12	श्री सोनी, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	9300034432
13	श्री अशोक मोहिते, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	9300010158
14	श्री मनोज महेश्वरी, पर्यटन एवं पुरातत्व विशेषज्ञ	सदस्य	9893823345
15	श्री अरुण अपेक्षित, पर्यटन एवं पुरातत्व विशेषज्ञ	सदस्य	98933-28600

कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

// बैठक एजेंडा //

1. माधव चौक विकास कार्य पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कराने पर विचार ।
2. भदैयाकुण्ड संचालन संधारण पर विचार ।
3. भदैयाकुण्ड में केफेटेरिया, चिल्ड्रन जोन पर विचार।
4. भदैयाकुण्ड में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यो पर विचार ।
5. भदैयाकुण्ड में नाव चलाने पर प्राप्त दरों की पुष्टि ।
6. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोडल अधिकारी
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (मप्र)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक/डीटीपीसी./ /2017/ /S

शिवपुरी, दिनांक :- 12/01/2017

// निविदा सूचना //

एतद द्वारा समस्त कैफेटेरिया एवं होटल व्यवसायियों तथा अन्य इच्छुक योग्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड छत्री रोड़ शिवपुरी पर निर्माणाधीन कैफेटेरिया का 05 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यवसायियों से दिनांक 20/02/2017 दोपहर 2:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17/02/2017 तक कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में (जो अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी)। प्राप्त निविदायें दिनांक 20/02/2017 को उपस्थित व्यवसायियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष 3:00 बजे खोली जावेगी।

क्र	कार्य का नाम	अनु. लागत	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	निविदा मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6
	भदैया कुण्ड शिवपुरी स्थित निर्माणाधीन कैफेटेरिया का 05 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन	-	300000/-	2000/-	01 माह

आवश्यक शर्तें :-

1. कैफेटेरिया संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 3.00 लाख रुपये डीटीपीसी के नाम जमा करना होगा जो 5 वर्ष 6 माह बाद ब्याज रहित वापिस किये जाएंगे।
2. किराये की राशि त्रैमासिक जमा की जाना होगी। त्रैमास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा यदि किराये की राशि में प्रतिवर्ष 5प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। नियत अवधिमें किराया जमा ना करने की दशा में, बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत ब्याज देय होगा। विलम्ब 90 दिवस से अधिक होने पर सात दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कियाजा सकेगा।
3. रेस्टोरेंट तथा खुला मैदान 2500 वर्गफीट जिसका उपयोग किया जावेगा मरम्मत की राशि स्वयं वहन करना होगी। रेस्टोरेंट तथा संलग्न खुले मैदान के वाहर पार्टी आयोजन के लिये डीटीपीसी के द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी जिसका क्षेत्र व शुल्क डीटीपीसी द्वारा तय किया जावेगा।
4. विधुत व्यय स्वयं वहन करना होगा। रेस्टोरेंट के साथ संलग्न मैदान पर भी शोभायमान लाइटिंग करनी होगी।

5. केफेटेरिया में मात्र शाकाहारी फास्ट फुड प्रदान किया जाएगा। खाने का स्तर 3 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का रखना होगा। मॉसाहार तथा मदिरा आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
7. सुरक्षा के लिये प्रायवेट सिक्योरिटी में 2 बर्दीधारी गार्ड रखना होंगे, चारों ओर सीसी टीवी कैमरे स्थापित करना होंगे।
8. सम्पूर्ण एरिया पोलिथिन फ्री रखना होगा, खान पान पार्सल व्यवस्था हेतु पोलिथिन फ्री संसाधनों का उपयोग करना होगा।
9. रेस्टोरेंट का स्टाफ ट्रेड होगा, बर्दी में रहेगा, सेफ एवं वेटर ग्लव्स का उपयोग करेंगे तथा सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या ग्राहकों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर डीटीपीसी कभी भी किसी भी कर्मचारी को पृथक करने का आदेश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
10. सामग्री विक्रय की रसीद संधारित की जावेगी सभी टैक्स अदा करने होंगे, कैश लेश ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
11. साफ सफाई नियम अनुसार कराना होगी कचरे के निपटान के लिये नगर पालिका शिवपुरी द्वारा चिन्हित स्थान पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी।
12. केफेटेरिया व उससे संलग्न मैदान को छोड़कर भदैयाकुण्ड के शेष खुले स्थानों पर डीटीपीसी द्वारा स्मार्ट गुमटी एवं फेरी वाले विक्रेताओं को अनुमति दी जावेगी जिसके संबंध में आपत्ति करने का अधिकार निविदादाता का नहीं होगा।
13. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएँगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।

3/11/17
कलेक्टर अध्यक्ष
जिला पर्यटन एवं संरक्षण परिषद
शिवपुरी

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी (म.प्र.)

17/08

शिवपुरी दिनांक 13/05/17

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति :-

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी की बैठक दिनांक 07/01/2017 में भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फॅसिन निर्माण कार्य की स्वीकृति के अनुमोदन उपरान्त कार्य के दौरान आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्देशानुसार किये गये संशोधनों के अनुसार सहायक यंत्री डीटीपीसी शिवपुरी द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त निर्माण कार्य की एजेन्सी डीटीपीसी रहेगी।

क्र	कार्य का नाम	जिले का नाम	मद	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)
1	भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फॅसिन निर्माण कार्य	शिवपुरी	विधायक मद	15/17.05.2017	5.86

शर्त :-

- कार्य निविदा पद्धति से होगा।
- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
- कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य प्रारंभ कर समयावधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त किया जाकर घरोहर राशि को राजस्वत कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- बिल में से राशि SD ICT एवं कर्मकार टेक्स कटोत्रा नियमानुसार कियेश जावेगा। अमानत राशि कार्य पूर्णता उपरान्त वापिस की जावेगी तथा सुरक्षा राशि अंतिम बिल अनुमोदन के पश्चात (परफोरमेन्स गारंटी के आधार पर) वापिस की जावेगी।
- कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्त shivpuri.nic.in पर देखी जा सकेंगी।
- भुगतान डीटीपीसी की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जावेगा।
- किये गये निर्माण कार्य /प्रदाय की गई सामग्री में उपयोग किया गया खनिज मटेरियल का रॉयल्टी संबंधी चुकता प्रमाण वत्र खनिज विभाग से प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।

3x

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

पृ.क्रमांक/डी.टीपीसी/2017/

शिवपुरी दिनांक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- नोडल अधिकारी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी।
- कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी।

3x
19/5/17

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/डीटीपीसी/2017/ 37

शिवपुरी दिनांक 4/08/2017

प्रति,

गिरीश शिवहरे,
बी.एस.एन.एल. कॉलोनी,
शिवपुरी (म.प्र.)

विषय- भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थित निर्मित कैफेटेरिया का 05 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण कार्य का अनुबंध करने बाबत।

संदर्भ- आपकी निविदा क्रमांक 14 दिनांक 27.07.17।

-----00-----

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा क्रमांक 14 दिनांक 27.07.17 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें आपके द्वारा अधिकतम दर राशि 10040/- प्रस्तुत की गई है वह अन्य निविदाकार से अधिक होकर स्वीकार की जाती है।

अतः आप 07 दिवस के अंदर अनुबंध करने हेतु डी.टी.पी.सी.शिवपुरी के कार्यालय में उपस्थित हों तथा अनुबंध के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें -

1. नोन जुडीशियल स्टाम्प रुपये 1000/-
2. बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
3. दो फोटो, पेनकार्ड की प्रति।

ज्ञानी
4-8-17

(संपेश उपाध्याय)
मोडल अधिकारी,
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी

कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

// कार्यकारणी समिति //

क्र.	नाम एवं पदनाम	दायित्व	संकेत-सं. हस्ताक्षर
1	श्री तरुण राठी, कलेक्टर	अध्यक्ष	
2	श्री सुनील पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक	सदस्य	
3	श्री आर. एस. कोरी वनसंरक्षक, शिवपुरी	सदस्य	01/11/19
4	श्रीमती नीतू माथुर, सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी	सदस्य	
5	श्री रूपेश उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर	सदस्य सचिव	
6	श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी	सदस्य	R-1/19
7	श्री दिनेश शौरी वरिष्ठ प्रबंधक एमपीटीडीसी शिवपुरी	सदस्य	
8	श्री ओ.एच. शर्मा, ई.ई.पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य	
9	श्री सहा.संचालक पुरातत्व विभाग,	सदस्य	
10	श्री कंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	सदस्य	01/11/19 (नीरज लिवाट) लघु-का-3
11	श्री पवन जैन, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
12	श्री सोनी, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
13	श्री अशोक मोहिते, पर्यटन विशेषज्ञ सदस्य	सदस्य	
14	श्री मनोज महेश्वरी, पर्यटन एवं पुरातत्व विशेषज्ञ	सदस्य	
15	श्री ...	सदस्य	



दूरभाष(का.) 07492-233700 (त) 233701

फैक्स (का.) 07492-233274

e-mail- dmshivpuri@mp.nic.in

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ जिशविअभि/पर्यटन/2016/1105/807
प्रति,

शिवपुरी दिनांक 09-12-2016

13

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

विषय:- शिवपुरी में पर्यटन की गतिविधियों प्रारंभ करने के संबंध में।

अनुोध है कि शिवपुरी जिले में पर्यटन की वृहद संभावनाएँ हैं। नगर से संलग्न माधव नेशनल पार्क, विस्तारित वन क्षेत्र है, जिसमें अनेक स्थान, वाटरफॉल, घाटियों आदि, प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम उदाहरण हैं। जिले में नरवर जैसा ऐतिहासिक किला, सुरवाथा की गढ़ी, तेरही ग्राम में स्थिति 1000 वर्ष पुराने भठ, इतिहास की दास्तां कहते हैं यहाँ मड़ीखेड़ा जैसे विशाल बांध, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। शिवपुरी जिले में महाभारत काल से जुड़े अनेक मंदिर और कुण्डों के अलावा बड़ी संख्या में शैवमत से जुड़े ऐतिहासिक शिव मंदिर हैं। यह जिला आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के साथ ही आगरा-झांसी-ओरछा, खजुराहो पर्यटन सर्किल में होने के कारण पर्यटकों के लिए सुगम है। इस प्रकार शिवपुरी जिले में प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, रोमांचक पर्यटन इत्यादि के लिए पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं, परन्तु दुर्भाग्य से शिवपुरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसका कारण है जिले के पर्यटन स्थलों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं होना तथा पर्यटक स्थलों की साज-सज्जा की कमी है।

शिवपुरी में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद मेरी अध्यक्षता में कार्यरत है, जिसकी दो बैठकें पिछले तीन माह में हो चुकी हैं, जिसमें पर्यटन की संभावना पर समग्रता से विचार किया गया तथा निम्न निर्णय लिए गए :-

- 1- शिवपुरी जिले के समस्त पर्यटक स्थलों का समेकित जिला पर्यटन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कन्सल्टेंट के लिए निविदा इस सप्ताह में जारी की जा रही है। इस प्लान को तैयार करने के लिए लगभग 8-10 लाख रुपये व्यय आएगा, जिसकी व्यवस्था जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- 2- लोगों में समिति के बक्तों के प्रति विश्वास पैदा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम नगर के बस विधिति भटवाकुण्ड को पुनरुद्धार हेतु लिया जा रहा है। कन्सल्टेंट के माध्यम से इसमें कैफेटीरिया, शौचालय, बैठने की कुर्तियों, साफ-सफाई इत्यादि का प्लान बनाकर विधायक मद से कार्य कराने का निश्चय किया गया है। यह कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 3- दिनांक 24-12-2016 को जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तथा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से टूरिस्ट विलेज में शरदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के लगभग 500 व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना है।

4- शिवपुरी नगर में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से ट्रिस्ट बेनकम सेक्टर बना था, जो पिछले 4 वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है। इसकी साफ-सफाई प्रारंभ कर दी गई है तथा जिला पर्यटन संयोजन परिषद द्वारा नगरपालिका से इसका हस्तांतरण प्राप्त कर संचालन-संभारण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इसमें दिनांक 31-12-2016 से "उम्मीद 2017" कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 08-01-2017 तक चलेगा तथा दिनांक 08-01-2017 को "आनंद उत्सव" के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान नगर के व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा बन्द पड़ी दुकानों में 8 दिवस के लिए हस्तशिल्प, क्राफ्ट आदि की दुकानें लगाई जा रही हैं।

5- शिवपुरी के पर्यटन स्थलों को लेकर एक बहुत सुन्दर कैलेंडर 2017 जारी किया जा रहा है, जिसकी छपाई का कार्य प्रारंभ है। इस कैलेंडर को भारत के विभिन्न ट्रिज्म एजेंसियों को भेजा जाएगा, ताकि ये शिवपुरी में पर्यटन की संभावनाओं से परिचित हो सकें। इस कैलेंडर में ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ ट्रिस्ट विलेज को भी एक पूरी प्रस्तुति दी गई है।

6- शिवपुरी नगर से ट्रिस्ट विलेज को जाने वाले रास्ते की हालत बहुत खराब है। इस कारण पर्यटकों का आना कम हो गया है। इस रास्ते को माधवराव सिंधिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उक्त रास्ते में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर मुरम डलवाकर सुधारा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग से उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जाना बहुत आवश्यक है।

शिवपुरी जिले को पर्यटन नक्शे में लाने के लिए उपर्युक्त कार्य जिला पर्यटन संयोजन समिति के माध्यम से प्रारंभ किए गए हैं। इस संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन तथा सहयोग वांछित है। यदि संभव हो सके तो शासन स्तर से जिले का मास्टर प्लान बनाने तथा कैलेंडर के लिए आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

31/12/16
(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी म०प्र०

जिला पर्यटन सम्बर्धन समिति शिवपुरी

6 (31)

एजेण्डा

(वैठक दिनांक 03.10.2016)

- 1- पिछली मीटिंग के कार्यवाही विवरण पर चर्चा ।
- 2- दशहरा अवकाश में जिले में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना तथा ग्वालियर, चम्बल, सागर आदि जिले से लगे हुए संभागों के जिलों से पर्यटकों को दशहरा, दीपावली अवकाश में जिले के पर्यटन केन्द्रों तक लाने का प्रयास करना ।
- 3- जिले में पर्यटन के विस्तार हेतु जिले के होटल एवं ट्रेवल एजेंसी की भूमिका एवं त्यौहार के सीजन में विशेष पैकेज घोषित करने के संघ में चर्चा ।
- 4- जिले के पर्यटन केन्द्रों पर सुविधाएँ बढ़ाने पर विचार ।
- 5- राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (NCR) से वीकेण्ड में निकलने वाले पर्यटकों को शिवपुरी लाने के प्रयास । " वीकेण्ड टूर " आरंभ करने पर विचार ।
- 6- पर्यटन के जागरूकता उत्पन्न करने के लिये DTPC द्वारा जिले में शरद, वसन्त एवं वर्षा (श्रावण) में तीन हेरीटेज वॉक आयोजित करने पर विचार । जिसमें ऑन पैमेन्ट जिला अधिकारी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी, विभिन्न स्कूलों के स्टाँफ एवं अन्य गणमान्य नागरिक भाग ले सकेंगे ।
- 7- नये वर्ष का कलेण्डर प्रकाशित करने पर विचार ।
- 8- भदैया कुण्ड फेस्टिवल (चोंदनी रात में) गीत-संगीत-भोज
- 9- सेलिंग क्लब फेस्टिवल (ख्वाब चुन रही है रात)
- 10- अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से ।

69
कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद जिला शिवपुरी (प्र.)

क्रमांक/डी.टी.पी.सी./ 2017/

शिवपुरी दिनांक:- 07.01.2017

कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.01.2017 को समय 2.00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रकार है :-

1. श्री ओ.पी.श्रीवास्तव, कलेक्टर शिवपुरी
2. श्री सुनील पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी
3. नेहा मारव्या, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी
4. श्रीमती नीतू माधुर, अपर कलेक्टर शिवपुरी
5. श्री रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी डी.टी.पी.सी. शिवपुरी
6. श्री दिनेश शौरी, प्रबंधक टूरिस्ट विलेज शिवपुरी

बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की नीति के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। शिवपुरी शहर में स्थित पर्यटन स्थलों का उन्नयन करने की दिशा में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिये गये जो इस प्रकार हैं :-

1. डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म मास्टर प्लान :-

पर्यटन की दृष्टि से शिवपुरी ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर नगरी है। इसके लिये डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार कराया जाना है। इसके लिये कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 30.12.2016 को जारी किये गये टेण्डर नोटिस की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान तैयार किये जाने में कितनी राशि का व्यय होगा इसका अभी स्पष्ट आंकलन नहीं किया जा सकता है। अनुमान के आधार पर रुपये 5.00 लाख व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कैलेण्डर वर्ष 2017 का प्रकाशन :-

शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों के चित्रों को समाहित करते हुये वर्ष 2017 का कैलेण्डर शासकीय कैलेण्डर के अनुरूप डी.टी.पी.सी. द्वारा जनभागीदारी से प्रकाशित किया गया है। जिसका अवलोकन किया गया, सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कैलेण्डर की 2000 प्रतियां छपवाई जाकर इसका मूल्य 150/- रुपये निर्धारित किया जावे एवं सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय, बैंकों व अन्य व्यक्तियों को मांग अनुसार प्रतियां प्रदाय की जावे। इससे प्राप्त राशि का उपयोग पर्यटन स्थलों के उन्नयन कार्यों में किया जावे।

3. उत्साह - 2017 (वेलकम सेंटर छत्री रोड पर मेला आयोजन के संबंध में) :-

नोडल अधिकारी श्री उपाध्याय जी द्वारा बताया गया कि वेलकम सेंटर छत्री रोड पर दिनांक 07.01.2017 से 14.01.2017 तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसका नाम उत्साह 2017 रखा गया है। मेले को समाज के हर वर्ग के लिये उपयोगी बनाने हेतु इसे 5 सेक्टर में

चिल्ड्रन जोन प्रमुख हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रतियोगिता आयोजित की जावेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1. लोक नृत्य एवं लोकगीत कार्यक्रम,
2. भजन संध्या,
3. डांस प्रतियोगिता
4. वॉयस ऑफ शिवपुरी,
5. कवि सम्मेलन,
6. बैण्ड प्रतियोगिता

मेले में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति से 10/- रुपये जनभागीदारी के रूप में राशि ली जावेगी। उक्त राशि से पर्यटन कार्य में व्यय की जावेगी। मेले में प्रतिदिन लकी ड्रॉ निकाला जावेगा। जिसमें 3 ईनाम प्रदान की जावेंगी साथ ही मेले में आने वाले दर्शकगणों में से फेस ऑफ द डे का भी चयन निर्णायकों द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपरोक्त कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

4. भदैया कुण्ड पर्यटक स्थल के उन्नयन के संबंध में :-

शिवपुरी पर्यटक ग्राम के पास स्थित भदैया कुण्ड पर्यटक स्थल को विकसित किये जाने हेतु निम्न कार्य योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि इस प्रकार है :-

1. फेसिंग कार्य लागत 3 लाख
2. फॉल को कृत्रिम रूप से चलाना लागत 3.50 लाख
3. लाईटिंग कार्य के लिये कंसल्टेंट नियुक्त करना।
4. कैफेटेरिया निर्माण लागत 5 लाख
5. कैफेटेरिया संचालन का ठेका आदि

उपरोक्त कार्य के लिये प्राक्कलन, डिजाइन, तैयार जाकर निविदा आमंत्रण किये जाने स्वीकृति प्रदाय की जाती है साथ ही लाईटिंग कार्य के लिये कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। निविदा आमंत्रित की जावै। उपरोक्त कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी डी.टी.पी.सी. को अधिकृत किया जाता है।

कैफेटेरिया संचालन के ठेका के लिये निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की जाती हैं :-

1. कैफेटेरिया संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 3.00 लाख रुपये डीटीपीसी के नाम जमा करना होगी जो 5 वर्ष बाद ब्याज रहित वापिस की जावेगी।
2. किराये की राशि त्रैमासिक जमा की जाना होगी। त्रैमास के प्रारंभ में किराया जमा करना होगा यदि किराये की राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। नियत अवधिमें किराया जमा ना करने की दशा में, निविदा सात दिवस का नोटिस देकर निरस्त की जा सकेगी।
3. रेस्टो रेंट, मैदान जिसका उपयोग किया जावेगा मरम्मीत की राशि स्वयं वहन करना होगी। कैफेटेरिया के बाहर पार्टी आयोजन के लिये डीटीपीसी के द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी जिसका क्षेत्र व शुल्क डीटीपीसी द्वारा तय किया जावेगा।
4. विद्युत व्यय स्वयं वहन करना होगा।
5. कैफेटेरिया में मात्र शाकाहारी भोजन, फास्ट फुड खाने का रखना होगा मदिरा आदी का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

6. कैफेटेरिया संचालन हेतु एम्पलीटीसी द्वारा संचालित होवज्यों की योग्यता के आधार पर लेगी

7. सुरक्षा के लिये प्रायवेट सिक्स्योरिटी में 4 व्यक्ति रखना होंगे, चारो ऊ. ना. सी. टी.वी. कैमरा स्थापित करना होंगे ।
8. पोलीथिन फ्री एरिया रखना होगा, खान पान पार्सल व्यलवस्थान हेतु पोलीथिन फ्री संसाधनों का उपयोग करना होगा ।
9. रेस्टोरेंट का स्टाफ ट्रेड होगा , वर्दी में रहेगा , सेफ एवं वेटर ग्लव्स का उपयोग करेंगे तथा सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा
10. सामग्री विक्रय की रसीद संधारित की जावेगी सभी टेक्स अदा करने होंगे , कैश लेश ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी ।
11. साफ सफाई नियम अनुसार कराना होगी कचरे के निपटान के लिये नगर पालिका शिवपुरी द्वारा चिन्हित स्थानन पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी ।
12. केफेटेरिया परिसर के खुले स्थानों पर स्मार्ट गुमटी एवं फेरी वाले विक्रेताओं को अनुमति दी जावेगी जिसकी आपत्ति नहीं की जावेगी ।
13. समस्त विवादों के लिये - कलेक्टर शिवपुरी ।
5. डाक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग के संबंध में :- शिवपुरी जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से डाक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही की जावे। इस कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी डी.टी.पी.सी. को सर्व सम्मति से अधिकृत किया जाता है।
6. तात्याटोपे स्मारक का उन्नयन किया जावै।
- 7- माधव चौक चौराहे का उन्नयन किया जावै तथा शिवपुरी के जनक कै० श्रीमंत माधौ महाराज की मूर्ति पुर्नस्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावै।


 डिप्टी कलेक्टर
 एवं नोडल अधिकारी
 जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
 जिला - शिवपुरी
 शिवपुरी दिनांक:- 07.01.2017

पृ.कमांक/डी.टी.पी.सी./ 2017/

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक, म.प्र.पर्यटन विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. सर्व संबंधित की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 डिप्टी कलेक्टर
 एवं नोडल अधिकारी
 जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
 जिला - शिवपुरी



यशोधरा राजे सिंधिया
मंत्री

खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 1808 /min/S&R/201

दिनांक : 03/01/2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम
01	भदैयां कुन्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाइटिंग कार्य	10.00 लाख	जिला पर्यटन संवर्धन समिति शिवपुरी

यशोधरा राजे सिंधिया
(यशोधरा राजे सिंधिया)

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, शिवपुरी (म.)

क्रमांक 168 / विनि / 2017 / जियासाका,
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक 30.1.2017

परियोजना अधिकारी,
शहरी विकास अभिकरण,
जिला-शिवपुरी

विषय- भदैयाकुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाईटिंग कार्य के संबंध में ।

संदर्भ - माननीय मंत्री महोदय का पत्र क्रमांक 1808 दिनांक 03.01.2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 55 दिनांक 07.01.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, माननीय मंत्री महोदय एवं इस कार्यालय द्वारा भदैयाकुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाईटिंग कार्य कराये जाने के संबंध में विधायक निधि से 10/- लाख रुपये की अनुशंसा की है ।

अतः आप उपरोक्त कार्य का प्राक्कलन एवं कार्य कराये जाने का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि कार्य स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

जिला योजना अधिकारी
2017 जिला-शिवपुरी

पृष्ठांकन क्रमांक 169 / विनि / 2017 / जियासाका,
प्रतिलिपि -

शिवपुरी, दिनांक 30.1.2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, खेल और युवक कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, विधान सभा क्षेत्र, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

जिला योजना अधिकारी
2017 जिला-शिवपुरी

ना पर्यटन संवर्धन परिषद कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी (म.प्र.)

17/08

शिवपुरी दिनांक 13/08

= पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति =

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी की बैठक दिनांक 07/01/2017 में भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फेंसिंग निर्माण कार्य की स्वीकृति के अनुमोदन उपरान्त कार्य के दौरान आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्देशानुसार किये गये संशोधनों के अनुसार सहायक यंत्री डीटीपीसी शिवपुरी द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त निर्माण कार्य की एजेन्सी डीटीपीसी रहेगी।

क्र	कार्य का नाम	जिले का नाम	मद	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)
1	भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फेंसिंग निर्माण कार्य	शिवपुरी	विधायक मद	15/17.05.2017	5.86

शर्त :-

- कार्य निविदा पद्धति से होगा।
- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
- कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य प्रारंभ कर समयावधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त किया जाकर धरोहर राशि को राजसात कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- बिल में से राशि SD ITCT एवं कर्मकार टेक्स कटौती नियमानुसार क्लियर जावेगा। अमानत राशि कार्य पूर्णता उपरान्त वापिस की जावेगी तथा सुस्था राशि अंतिम बिल अनुमोदन के पश्चात (परफोरमेन्स गारंटी के आधार पर) वापिस की जावेगी।
- कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्त shivpuri.nic.in पर देखी जा सकेगी।
- भुगतान डीटीपीसी की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जावेगा।
- किये गये निर्माण कार्य /प्रदाय की गई सामग्री में उपयोग किया गया खनिज मटेरियल का सैंपलिंग संबंधी सुकता प्रमाण वत्र खनिज विभाग से प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

पृ.क्रमांक/डी.टीपीसी/2017/

शिवपुरी दिनांक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- मोडल अधिकारी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी।
- कार्यपालन यंत्री प्राणीय यांत्रिकी सेवा शिवपुरी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक./327/2017/जि.यो.स./वि.नि./

शिवपुरी, दिनांक 4/3/2017

//आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के परिपत्र क्र. 5-136/95/23/ यो-2 भोपाल, दिनांक 06/12/95 एवं तत्संबंधी जारी अन्य निर्देश द्वारा प्रत्यायोजित किये गये, अधिकारों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विकास/निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र 25-शिवपुरी के माननीय विधायक श्रीमति यशोधरा राजें सिंधिया की ओर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	कार्य का प्रकार, स्थल एवं ग्राम का नाम	जनपद पंचायत	मांग संख्या 60/64	तकनीकी स्वीकृति की राशि/दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्यकारी एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7
1.	भट्टयाकुण्ड में पर्वतक सुविधाओं का विकास केफेटरिया निर्माण लड्डिंग कार्य।	शिवपुरी	60	10,00,000 04.02.2017	10,00,000	जिला पर्यटन संवर्धन समिति शिवपुरी
				योग :-	10,00,000	

(राशि लाख रुपये में)

- उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी।
- कार्य 01 वर्ष में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा विलम्ब की स्थिति में प्रतिमाह 2 प्रतिशत विलंब के लिये राशि कटौती की जावेगी।
 - तकनीकी प्राक्कलन के अनुरूप कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाये।
 - मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादन में ठेका पद्धति पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
 - उपरोक्त स्वीकृत कार्य योजना की मार्गदर्शिका की क. 2.4. में यह स्वीकृत कार्य अनुमत्त है।
 - कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाये।
 - कार्य में अनुपयुक्त एवं घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल न किया जाये।
 - कार्य प्रारम्भ कराने हेतु विधायक निधि/की प्रथम अंशिका दी जावेगी, तदोपरान्त राशि मांग के साथ पूर्व राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (किये गये कार्य का छायाचित्र एवं रनिंग मूल्यांकन की छायाप्रति) प्रस्तुत करने पर ही अगली अंशिका जारी की जा सकेगी।
 - कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र (अंतिम मूल्यांकन की छायाप्रति एवं निर्मित कार्य का छायाचित्र) यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाये।
 - निरीक्षण के समय मस्टर, व्हाउचर, माप पुस्तिका आदि अभिलेख प्रस्तुत करें।
 - कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थल पर लोहे /पत्थर का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य है जिसमें कार्य का नाम/स्वीकृत वर्ष/स्वीकृत राशि/ कार्य प्रारम्भ करने की तिथि/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम/कार्यपूर्ण का दिनांक/योजना का नाम आदि लिखा जावे।
- (कलेक्टर महो. द्वारा आदेशित)

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला शिवपुरी (म. प्र.)

क्रमांक/ 382 /2017

/जि.यो.सां.का./लेखा/यो.राशि/

शिवपुरी दिनांक... 09/03/17...

प्रति,

जिला पर्यटन संवर्धन समिति
जिला शिवपुरी मध्य

डिप्टी. 168
6/3/17

विधायक मद/जनभूमिदारी मद
अशिका
प्रथम/द्वितीय/अन्तिम

विषय :- विधायक निधि/जनभूमिदारी योजनासंगत स्वीकृत किये गये कार्य/कार्यों की राशि प्रदाय करने विषयक ।

(Employment 2117-0-)

21/6-17

विषयवर्तित योजना से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्य की राशि का बैंक द्राफ्ट/बैंकर्स चेक/कोषा, शिवपुरी का
चेक क्र. 0390192955 दिनांक 07/03/17 राशि रूपये 10,00,000/- शब्दों में ~~दस लाख~~
~~लाख केवल~~ पत्र के साथ संलग्न कर अप्रलिखित कार्यों के लिए भेजी जा रही है :-

स्वीकृत किये गये कार्य का विवरण :-

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	राशि रूपये में
01	मर्दचा कुठड मे पर्यटन सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाइटिंग कार्य	10,00,000 =
(क. 441 ला (व कुवल)		योग :- 10,00,000 =

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी (म. प्र.)

क्रमांक/

/2017

/जि.यो.सां.का./लेखा/यो.राशि/

शिवपुरी दिनांक... 09/03/17...

प्रतिलिपि :-

संबंधित शाखा (जनभूमिदारी/विधायक मद मांग संख्या... (60)...) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
शिवपुरी (म. प्र.) की ओर सूचनाार्थ ।

sel
जिला योजना अधिकारी



दूरभाष (कार्या.) 07492-233700 (नि.) 233701

फैक्स (कार्या.) 07492-233274

e-mail : dmshivpuri@mp.nic.in

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ वि.प. नि./2017/223

शिवपुरी, दिनांक 01-04-17

प्रति,

सचिव,

म.प्र.शासन,

पर्यटन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

विषय:- भदैयाकुण्ड शिवपुरी के विकास हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/जिशविअभि/पर्यटन/2016/डी105/809 दिनांक 13.12.2016

अनुरोध है कि शिवपुरी जिले में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद पर्यटन के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है, जो इस प्रकार हैं :-

1. जिले के पर्यटन स्थलों का वार्षिक कलेण्डर तैयार किया गया है, जिसकी 4 हजार प्रतियाँ वितरित/विक्री की जा चुकी हैं।
2. जिले का डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जा चुका है। यह कार्य 30 जून 2017 तक पूर्ण हो जाएगा।
3. जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा टूरिस्ट विलेज "भदैयाकुण्ड पर (ढोला-मारु परिसर) में दिनांक 24 दिसम्बर 2016 को " शरद उत्सव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपये के टिकट का प्रावधान रखा गया तथा उक्त कार्यक्रम में भोजन इत्यादि की उचित व्यवस्था की गई।
4. दिनांक 29 मार्च 2017 को नवसंवत्सर अभिनंदन समारोह प्रतिष्ठ पर्यटन स्थल "भदैयाकुण्ड" पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।
5. जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा म.प्र.शासन, संस्कृति विभाग के सहयोग से दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च 2017 को "शिवपुरी उत्सव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय नृत्य-नाटक के अलावा प्रख्यात गायिका अल्का यागनिक द्वारा प्रस्तुती दी गई। उक्त कार्यक्रमों में लगभग 6 हजार व 10 हजार लोग उपस्थित रहे।

6. शिवपुरी जिले के पर्यटन स्थलों की डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाई जा रही है, जो दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक बनकर तैयार होगी।
 7. दूरिस्ट बैलकम सेन्टर शिवपुरी में दिनांक 07.01.2017 से 13.01.2017 तक "उत्साह-2017" मेला आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस मेले में की गईं। मेले में लगभग 6 हजार व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।
 8. जनभागीदारी से लगभग 6.00 लाख रुपये की राशि संकलित की जा चुकी है, जिसका उपयोग विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के विकास में किया जा रहा है।
 9. नरवर के किले पर रोपवे स्थापित करने के लिए नगरपालिका परिषद नरवर द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को अधिकृत किया जा चुका है तथा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने राज्य शासन से निविदा प्रपत्र इत्यादि में मदद करने के लिए अनुरोध किया है।
 10. शहर के पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड को विस्तृत स्वरूप देने और झरने को निरंतर चालू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत झरना प्रारंभ किया जा चुका है। केफेटेरिया निर्माण का कार्य चल रहा है तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से चारों ओर लोहे की ग्रिल लगाई जा रही है। इस कार्य हेतु अभी तक माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा 10.00 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं, इसके अलावा जनभागीदारी से प्राप्त राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय इसी कार्य में किया जा रहा है। भदैयाकुण्ड पर लाईटिंग के अलावा बच्चों के लिए ईको पार्क का विकास किया जा रहा है, जिसका कुल बजट लगभग 50.00 लाख रुपये है।
- जिले में चल रही पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए आवश्यक है कि भदैयाकुण्ड को एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि लोगों में समिति के प्रति विश्वास पैदा हो और जनभागीदारी बढ़ सके। इस संबंध में अनुरोध है कि भदैयाकुण्ड पर्यटक स्थल के विकास हेतु राज्य शासन स्तर से जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी को राशि रुपये 20.00 लाख का अनुदान प्रदान करने का कष्ट करें।

3/11
1.4.17

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.



यशोधरा राजे सिंधिया

मंत्री

खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1808
/min/S&R/201

दिनांक 03/01/2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम
01	भदैयां कुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास कैफेटेरिया निर्माण लाइटिंग कार्य	10.00 लाख	जिला पर्यटन संवर्धन समिति शिवपुरी

यशोधरा राजे सिंधिया
(यशोधरा राजे सिंधिया)

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, शिवपुरी (४)

क्रमांक 168 / विनि / 2017 / जियासाका,
प्रति,

शिवपुरी, दिनांक 30.1.2017

परियोजना अधिकारी,
शहरी विकास अभिकरण,
जिला-शिवपुरी

विषय- भदैयाकुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाईटिंग कार्य के संबंध ।

संदर्भ - माननीय मंत्री महोदय का पत्र क्रमांक 1808 दिनांक 03.01.2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 55 दिनांक 07.01.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, माननीय मंत्री महोदय एवं इस कार्यालय द्वारा भदैयाकुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाईटिंग कार्य कराये जाने के संबंध में विधायक निधि से 10/- लाख रुपये की अनुशंसा की है ।

अतः आप उपरोक्त कार्य का प्राक्कलन एवं कार्य कराये जाने का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि कार्य स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी

पृष्ठांकन क्रमांक 169 / विनि / 2017 / जियासाका,
प्रतिलिपि -

शिवपुरी, दिनांक 30.1.2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, खेल और युवक कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, विधान सभा क्षेत्र, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी

ज्ञा पर्यटन संवर्धन परिषद कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी (म.प्र.)

17/08

शिवपुरी, दिनांक 13/08

:: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति ::

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी की बैठक दिनांक 07/01/2017 में भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फ्रेंसिंग निर्माण कार्य की स्वीकृति के अनुमोदन उपरान्त कार्य के दौरान आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्देशानुसार किये गये संशोधनों के अनुसार सहायक यंत्री डीटीपीसी शिवपुरी द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त निर्माण कार्य की एजेन्सी डीटीपीसी रहेगी।

क्र	कार्य का नाम	जिले का नाम	मद	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)
1	भदैयाकुण्ड पर एम.एस.ग्रिल फ्रेंसिंग निर्माण कार्य	शिवपुरी	विधायक मद	15/17.05.2017	5.86

शर्त :-

- कार्य निविदा पद्धति से होगा।
- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
- कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य प्रारंभ कर समयावधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त किया जाकर घरोहर राशि को राजसात कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- बिल में से राशि SD ITCT एवं कर्मकार टेक्स कटौती नियमानुसार कियेश जावेगा। अमानत राशि कार्य पूर्णता उपरान्त वापिस की जावेगी तथा सुरक्षा राशि अंतिम बिल अनुमोदन के पश्चात (परफोरमेन्स गारंटी के आधार पर) वापिस की जावेगी।
- कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्त shivpuri.nic.in पर देखी जा सकेगी।
- भुगतान डीटीपीसी की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जावेगा।
- किये गये निर्माण कार्य / प्रदाय की गई सामग्री में उपयोग किया गया खनिज मटेरियल का रॉयल्टी संबंधी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

पृ. क्रमांक / डी.टीपीसी / 2017 /

शिवपुरी, दिनांक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- नोडल अधिकारी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी।
- कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी

कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला शिवपुरी (म. प्र.)

क्रमांक/ 382 /2017 /जि.यो.सां.का./लेखा/यो.राशि/ शिवपुरी दिनांक...09/03/17...

प्रति,

जिला पर्यटन संवर्धन समिति
जिला शिवपुरी मध्य

24/03/17
6/3/17

विधायक मद्/जनभूमिदात्री मद्
अंशिका
प्रथम/द्वितीय/अन्तिम

विषय :- विधायक निधि/जनभागीदारी योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य/कार्यों की राशि प्रदाय करने विषयक ।

(Employment 217-0)

2016-17

विधायकित योजना से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्य की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/कोषा. शिवपुरी का
चेक क्र. 0390192955 दिनांक 07/03/17 राशि रूपये 10,00,000/- शब्दों में...
ला.व. कि.व. पत्र के साथ संलग्न कर अग्रलिखित कार्यों के लिए भेजी जा रही है :-

स्वीकृत किये गये कार्य का विवरण :-

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	राशि रूपये में
01	मैदवा कुण्ड में पर्यटन सुविधाओं का विकास केफेटेरिया निर्माण लाइटिंग कार्य	10,00,000/-
(क. 621 ल) (व कुण्ड)		योग :- 10,00,000/-

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी (म. प्र.)

क्रमांक/ /2017 /जि.यो.सां.का./लेखा/यो.राशि/ शिवपुरी दिनांक...09/03/17...

प्रतिलिपि :- संबंधित शाखा (जनभूमिदात्री/विधायक मद् मांग संख्या... (60)...) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
शिवपुरी (म. प्र.) की ओर सूचनाार्थ ।

जिला योजना अधिकारी
जिला-शिवपुरी (म. प्र.)



कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ जिशविअभि/पर्यटन/2016/D105/807
प्रति,

शिवपुरी दिनांक 09-12-2016
13

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

विषय:- शिवपुरी में पर्यटन की गतिविधियाँ प्रारंभ करने के संबंध में।

अनुरोध है कि शिवपुरी जिले में पर्यटन की वृद्ध संभावनाएँ हैं। नगर से संलग्न माधव नेशनल पार्क, विस्तारित वन क्षेत्र है, जिसमें अनेक स्थान, घाटरफॉल, घाटियाँ आदि, प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम उदाहरण हैं। जिले में नरवर जैसा ऐतिहासिक किला, सुरवाया की गढ़ी, तेरही नाम में स्थिति 1000 वर्ष पुराने मठ, इतिहास की दास्तां कहते हैं वहीं मड़ीखेड़ा जैसे विशाल बांध, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। शिवपुरी जिले में महाभारत काल से जुड़े अनेक मंदिर और कुण्डों के अलावा बड़ी संख्या में शैवमत से जुड़े ऐतिहासिक शिव मंदिर हैं। यह जिला आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के साथ ही आगरा-इंसांसी-ओरछा, खजुराहों पर्यटन सर्किल में होने के कारण पर्यटकों के लिए सुगम है। इस प्रकार शिवपुरी जिले में प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, रोमांचक पर्यटन इत्यादि के लिए पूरी पूरी संभावनाएँ हैं, परन्तु दुर्भाग्य से शिवपुरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसका कारण है जिले के पर्यटन स्थलों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं होना तथा पर्यटक स्थलों की साज-सज्जा की कमी है।

शिवपुरी में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद मेरी अध्यक्षता में कार्यरत है, जिसकी दो बैठकें पिछले तीन माह में हो चुकी हैं, जिसमें पर्यटन की संभावना पर समग्रता से विचार किया गया तथा निम्न निर्णय लिए गए :-

- 1- शिवपुरी जिले के समस्त पर्यटक स्थलों का सम्बन्धित जिला पर्यटन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कन्सल्टेंट के लिए निविदा इस सप्ताह में जारी की जा रही है। इस प्लान को तैयार करने के लिए लगभग 8-10 लाख रुपये व्यय आएगा, जिसकी व्यवस्था जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- 2- लोगों में समिति के कार्यों के प्रति विश्वास पैदा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम नगर के एक निश्चित मंदिर/कुण्ड को पुनरुद्धार हेतु लिया जा रहा है। कन्सल्टेंट के माध्यम से इसमें कैफेटीरिया, शौचालय, बैठने की कुर्सियाँ, साफ-सफाई इत्यादि का प्लान बनाकर विधायक मद से कार्य कराने का निर्णय किया गया है। यह कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 3- दिनांक 24-12-2016 को जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तथा पर्यटन विवरण लिगज के सहयोग से टूरिस्ट विलेज में शरदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के लगभग 500 व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना है।

- 4- शिवपुरी नगर में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से ट्रिस्ट बेलकम सेण्टर बना था, जो पिछले 4 वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है। इसकी साफ-सफाई प्रारंभ कर दी गई है तथा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा नगरपालिका से इसका हस्तांतरण प्राप्त कर संचालन-संभारण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इसमें दिनांक 31-12-2016 से "उम्मीद 2017" कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 08-01-2017 तक चलेगा तथा दिनांक 08-01-2017 को "जानंद उत्सव" के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान नगर के व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा बन्द पड़ी दुकानों में 8 दिवस के लिए हस्तशिल्प, क्राफ्ट आदि की दुकानें लगाई जा रही हैं।
- 5- शिवपुरी के पर्यटन स्थलों को लेकर एक बहुत सुन्दर कैलेंडर 2017 जारी किया जा रहा है, जिसकी छपाई का कार्य प्रारंभ है। इस कैलेंडर को भारत के विभिन्न ट्रिजम एजेंसियों को भेजा जाएगा, ताकि ये शिवपुरी में पर्यटन की संभावनाओं से परिचित हो सकें। इस कैलेंडर में ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ ट्रिस्ट विलेज को भी एक पूरी प्रस्तुति दी गई है।
- 6- शिवपुरी नगर से ट्रिस्ट विलेज को जाने वाले रास्ते की हालत बहुत खराब है। इस कारण पर्यटकों का आना कम हो गया है। इस रास्ते को माधवराव सिंधिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उक्त रास्ते के सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर मुरम डलवाकर सुधारा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग से उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जाना बहुत आवश्यक है।
- शिवपुरी जिले को पर्यटन नक्शे में लाने के लिए उपर्युक्त कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से प्रारंभ किए गए हैं। इस संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन तथा सहयोग वांछित है। यदि संभव हो सके तो शासन स्तर से जिले का मास्टर प्लान बनाने तथा कैलेंडर के लिए आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

3/12/16
 (ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
 कलेक्टर
 जिला शिवपुरी म.प्र.



कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/ जि-प. ल./2017/223

शिवपुरी, दिनांक 01-04-17

प्रति,

सचिव,
म.प्र.शासन,
पर्यटन विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल

विषय:-भदैयाकुण्ड शिवपुरी के विकास हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/जिशविअभि/पर्यटन/2016/डी105/809 दिनांक 13.12.2016

अनुरोध है कि शिवपुरी जिले में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद पर्यटन के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है, जो इस प्रकार हैं :-

1. जिले के पर्यटन स्थलों का वार्षिक कलेण्डर तैयार किया गया है, जिसकी 4 हजार प्रतियाँ वितरित/विक्री की जा चुकी हैं।
2. जिले का डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जा चुका है। यह कार्य 30 जून 2017 तक पूर्ण हो जाएगा।
3. जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा टूरिस्ट विलेज "भदैयाकुण्ड पर (ढोला-मारु परिसर) में दिनांक 24 दिसम्बर 2016 को "शरद उत्सव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपये के टिकट का प्रावधान रखा गया तथा उक्त कार्यक्रम में भोजन इत्यादि की उचित व्यवस्था की गई।
4. दिनांक 29 मार्च 2017 को नवसंवत्सर अभिनंदन समारोह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल "भदैयाकुण्ड" पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।
5. जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा म.प्र.शासन, संस्कृति विभाग के सहयोग से दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च 2017 को "शिवपुरी उत्सव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय नृत्य-नाटक के अलावा प्रख्यात गायिका अल्का याग्निक द्वारा प्रस्तुती दी गई। उक्त कार्यक्रमों में लगभग 6 हजार व 10 हजार लोग उपस्थित रहे।

6. शिवपुरी जिले के पर्यटन स्थलों की डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाई जा रही है, जो दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक बनकर तैयार होगी।
 7. दूरिस्ट बैलकम सेन्टर शिवपुरी में दिनांक 07.01.2017 से 13.01.2017 तक "उत्साह-2017" मेला आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस मेले में की गईं। मेले में लगभग 6 हजार व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।
 8. जनभागीदारी से लगभग 6.00 लाख रुपये की राशि संकलित की जा चुकी है, जिसका उपयोग विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के विकास में किया जा रहा है।
 9. नरवर के किले पर रोपवे स्थापित करने के लिए नगरपालिका परिषद नरवर द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को अधिकृत किया जा चुका है तथा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने राज्य शासन से निविदा प्रपत्र इत्यादि में मदद करने के लिए अनुरोध किया है।
 10. शहर के पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड को विस्तृत स्वरूप देने और झरने को निरंतर चालू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत झरना प्रारंभ किया जा चुका है। केफेटेरिया निर्माण का कार्य चल रहा है तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से चारों ओर लोहे की बिल लगाई जा रही है। इस कार्य हेतु अभी तक माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा 10.00 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं, इसके अलावा जनभागीदारी से प्राप्त राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय इसी कार्य में किया जा रहा है। भदैयाकुण्ड पर लाईटिंग के अलावा बच्चों के लिए इको पार्क का विकास किया जा रहा है, जिसका कुल बजट लगभग 50.00 लाख रुपये है।
- जिले में चल रही पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए आवश्यक है कि भदैयाकुण्ड को एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि लोगों में समिति के प्रति विश्वास पैदा हो और जनभागीदारी बढ़ सके। इस संबंध में अनुरोध है कि भदैयाकुण्ड पर्यटक स्थल के विकास हेतु राज्य शासन स्तर से जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी को राशि रुपये 20.00 लाख का अनुदान प्रदान करने का कष्ट करें।

3/11
1.4.17

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

प्रति

मै. रजत इन्फ्राटेक

शिवपुरी

विषय:- भदैया कुण्ड शिवपुरी पर कैफेटेरिया निर्माण कार्य करने बाबत।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा दिनांक १७-०३-२०१७ के संबंध में।

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा के क्रम में आपके द्वारा भदैया कुण्ड शिवपुरी पर कैफेटेरिया निर्माण कार्य की प्रस्तुत दर 14.49% (as per R.E.S. S.O.R. 01 Feb. 2016) अधिक स्वीकृत हुई हैं।

अतः आप सहायक यंत्री/उपयंत्री के मार्गदर्शन में स्वीकृत सीमा में ले-आउट प्राप्त कर निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादित करें।

डिप्टी कलेक्टर एवं
नॉडल अधिकारी

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक:- 24-4-17

पू.क्रमांक/डी.टी.पी.सी./२०१७/ 278

प्रतिलिपि:-

- श्री सतीश निगम सहायक यंत्री एवं श्री जितेन्द्र सिंह परिहार उपयंत्री डी.टी.पी.सी. शिवपुरी की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डिप्टी कलेक्टर एवं
नॉडल अधिकारी

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
शिवपुरी

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)

//कार्यवाही विवरण//

विषय:- जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की साधारण सभा की बैठक दिनांक 24.04.2022 का कार्यवाही विवरण।

---00---

विषयांतर्गत जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की साधारण सभा की बैठक दिनांक 24.04.2022 को आयोजित की गई जिसमें समिति के सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हुये।(सूची संलग्न) जिसमें प्रस्तावित एजेण्डे पर कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा क्रमांक 01 :- भदैयाकुण्ड पर सिंगल गेट प्रवेश एवं पार्किंग की संचालन एवं संधारण व्यवस्था हेतु निविदा का ऑनलाइन आमंत्रण किया गया जिसमें श्री मनीष शर्मा, कुष्णपुरम, कोलोनी, शिवपुरी की निविदा दर अन्य प्रतिभागियों की तुलना में अधिकतम रुपये 26,500/- प्रतिमाह प्रस्तुत की गई। जो अपेक्षाकृत अन्य निविदाकारों से अधिक होते से स्वीकृत की गई तथा कार्य का कार्यदेश दिनांक 01.02.2021 को जारी किया गया। अतः टेंडर प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन तथा फर्म को कार्यदेश जारी करने तथा अनुबंध करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन किया जाता है तथा कंटीन का टेंडर अनुबंध दिनांक 05.08.2017 को किया गया था जो दिनांक 04.08.2022 में समाप्त हो रहा है। जिसके तहत उसके स्थान पर दो और स्टॉल तैयार करके वहां कैफेटेरिया का नवीन टेंडर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसका अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक 02 :- भदैयाकुण्ड पर किये गये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों एवं कार्यक्रमों के आयोजन पर किये गये भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन

1. भदैयाकुण्ड पर चिल्ड्रन रिक्लिफेशन जॉन का निर्माण कार्य में अतिरिक्त कार्य हेतु 1.21 लाख के कार्य का पुनःरीक्षित प्राथमिकता के आधार पर कार्योत्तर पश्चात भुगतान का अनुमोदन।
2. शिवपुरी जिले में दिनांक 02.08.2021 से 05.08.2021 के बीच अतिवर्षा एवं बाढ़ से निम्नलिखित स्थानों की प्रति हुई थी उसके कारण आमजन की सुरक्षा हेतु रास्ता रोक दिया गया था तथा तत्कालिक व्यवस्था शुरू करने हेतु सहायक बंडी से एस्टीमेट तैयार कराकर जिसमें सीडी के पास मरम्मत कार्य का 23,598/- एवं भदैयाकुण्ड पर सीडियों की मरम्मत कार्य पर राशि रु.22457/- एवं कुण्ड के सामने मरम्मत कार्य पर राशि रु. 22565/- का व्यय किया गया जिसका कार्योत्तर अनुमोदन किया जाता है।

3. भदैयाकुण्ड पर संचालित कैफेटेरिया संचालन एवं सिंगल गेट प्रवेश सुस्तक पार्किंग व्यवस्था पर कोविड-19 के कारण एक माह का (मई 2021) के किराये में छूट प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया जाता है।

भदैयाकुण्ड शिवपुरी का पर्यटन पर्यटक स्थलों में से एक है भदैयाकुण्ड पर काफी पर्यटक आते हैं विशेष तौर पर वर्षाकाल में अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। भदैयाकुण्ड के विकास कार्य हेतु कार्यपालन बंडी म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित कार्यों के निष्पत्ति का प्राथमिकता प्रस्तुत किया है जिसमें पेपर फ्लोरिंग कार्य, स्मॉल फ्लोरिंग का कार्य

सोलर लाइट पोल सहित के लिये राशि रु.120.10 लाख सभी टैक्स सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक 03 :- डीएटीसीसी द्वारा आयोजित गतिविधियां

1. डीएटीसीसी का 2021 का वार्षिक कैलेंडर छपवाने पर राशि रु.49896/- का व्यय किया गया तथा अतिरिक्त वार्षिक कैलेंडर 2021 पर राशि रु. 30937/- का व्यय किया गया। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
2. डीएटीसीसी शिवपुरी 2022 का वार्षिक कैलेंडर छपवाने हेतु तीन लिफाफा पद्धति के आधार पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले कुटेशन दाता प्रियम इंटरप्राइजेज भोपाल की दर न्यूनतम होने से स्वीकृत की गई। कैलेंडर छपाने हेतु राशि रु.39160 का व्यय किया गया। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
3. पर्यटक स्वागत केन्द्र पर बैनर एवं योगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम माह के प्रति रविवार किया जाता है। इस हेतु साइण्ड एवं टेंट व्यवस्था, स्टेशनरी, डाइनेसीट एवं इनाम आदि पर-राशि रु. 19654/- का व्यय किया गया है। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
4. डीएटीसीसी द्वारा प्रति रविवार पर्यटक स्वागत केन्द्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें अच्छी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रमाण-पत्र छपाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिस पर राशि रु.3752/- का व्यय किया गया है। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
5. पर्यटन स्वागत केन्द्र शिवपुरी को पर्यटन का केन्द्र बिंदु बनाने हेतु वहां प्रतिमाह में दो बार प्रत्येक 15 दिवस में सांस्कृतिक गतिविधियों का मंच तैयार किया गया तथा दुकानों में दूर ऑपरेटर/होटल बुकिंग/ट्रेवल बुकिंग/टैक्सी/गाइड बुकिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाना प्रस्तावित किया गया। जिसका अनुमोदन किया गया है।
6. हान्टर योजना के अंतर्गत पर्यटन कार्यशाला में 70 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला हेतु राशि रु.39442/- का आवंटन प्रदान किया गया। जिसका आयोजन पर राशि रु. 40442/- का व्यय किया गया है। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक 04:- डीएटीसीसी शिवपुरी द्वारा हेरीटेज वॉक का आयोजन

1. डीएटीसीसी शिवपुरी द्वारा 27.03.2022 को हेरीटेज वॉक का आयोजन किया गया। पर्यटक स्वागत केन्द्र शिवपुरी के पास छत्री से वाणमंगा एवं वाणमंगा से मंदिरानुम्ब तक दृश्य आयोजन किया गया जिसमें 500 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया जिसमें 100 लोगों को टी-शर्ट तैयार करने हेतु तीन लिफाफा पद्धति पर कुटेशन आमंत्रित किये गये जिसमें सनसाईन मार्केटिंग की दरें अन्य कुटेशन दाताओं से कम हैं। डीएटीसीसी पर प्रिंटेड लोगो छपाई गई जिस पर 25000/- का व्यय किया गया तथा उक्त कार्य पर बैनर आदि के छपाई पर राशि रु.2400/- का व्यय किया गया। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
2. हेरीटेज वॉक में 50 रु. प्रति प्रतिभागियों के मान से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया था जिसमें तहत कुल एकत्रित राशि रु.23850/- डीएटीसीसी के खाते में जमा की गई। जिससे ही उक्त उक्त वॉक के मानदेय आदि का भुगतान किया गया। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।
3. हेरीटेज वॉक पर 5 महिला गाइड द्वारा विभिन्न पर्यटक स्थल की ऐतिहासिक-जानकारी से लोगों को अवगत कराया गया इस हेतु गाइड को 350 रु. के मान से मानदेय दिया गया प्रस्तावित है। कार्यान्तर अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक 05 :- जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद में प्रस्तावित कार्यों का अनुमति

1. बाणगंगा हेतु विकास के कार्य:- कार्यपालन यंत्री न.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ग्वा. नि.प्र. द्वारा प्रस्तावित तकनीकी स्वीकृति कार्य:- फ्लोरिंग कार्य; पार्किंग कार्य, गजियाँ का निर्माण, रेलिंग का कार्य, पाथवे निर्माण, स्टोन बैंच, इस्टिवन, सोलर लाइट आदि के लिये राशि रु.101.24 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका अनुमोदन किया जाता है।

2. सिद्धेश्वर मंदिर:- सिद्धेश्वर मंदिर एक धार्मिक महत्व का मंदिर है जहाँ पर प्रतिवर्ष फरवरी माह शिवरात्रि के समय में मेला लगता है जिसमें काफी पर्यटक आते हैं। कार्यपालन यंत्री न.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ग्वा.नि.प्र. द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों में पार्किंग का कार्य, स्टोन बैंच, एप्रोच मार्ग का विकास, इस्टिवन, प्रवेश द्वार कार्य, सोलर लाइट पोल साईट के लिये राशि रु.39.67 लाख मय टैक्स सहित प्रायकलन प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन किया जाता है।

3. शिवपुरी जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों के थर्मोकॉल पर मोडल बनाये जाने हेतु विजयिका निकाली गई जिस पर 6 व्यक्तियों द्वारा पर्यटक स्थलों के थर्मोकॉल मोडल बनाकर प्रस्तुत किये गये। जिसमें मोडल भदैयाकुण्ड 2 नग, जौन कैशल 2 नग, सुरवाया गढी 1 नग, तात्याटोपे 1 नग इस प्रकार कुल 6 मोडलों को सुरक्षित रखने हेतु कांच के बॉक्स में फ्रेम करने के लिए 3 लिफाफा पद्धति पर कुटेशन आमंत्रित किए गये। न्यूनतम दर वाले कुटेशन द्वारा लक्की एक्वेरियम शिवपुरी की सभी टैक्स सहित न्यूनतम दर राशि रु.22220/- होने से स्वीकृति की गई तथा उसके आधार पर कार्य कराया गया। ध्यय का कार्योत्तर अनुमोदन किया जाता है।

4. शिवपुरी शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रास्ते के सामने साइनेज पर पुर्दाई कर सिला लेख लगाया जाना है जिस पर राशि रु.2.65 लाख का प्रायकलन प्रस्तुत किया है जिसका अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा क्रमांक 06 :- शिवपुरी में 05 नास्टर ट्रेजर तैयार किए गए जिनके माध्यम से स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसका अनुमोदन किया गया है।

एजेण्डा क्रमांक 07 :- शिवपुरी जिले में तीन दिवसीय गौरव दिवस आयोजित करना प्रस्तावित किया गया है। जिसका अनुमोदन किया गया है।

एजेण्डा क्रमांक 08 :- नरवर किले पर वन विभाग द्वारा एप्रोच रोड बनाना प्रस्तावित किया गया। जिसका अनुमोदन किया गया है।

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/135/F-10

शिवपुरी दिनांक: 21/07/2022

//निविदा सूचना//

एतद द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, उन्नी रोड, शिवपुरी पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों औ पर्यटन के क्षेत्र में पंजीकृत सहकारी संस्था से दिनांक 06.08.2022 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्र दिनांक 22.07.2022 से 05.08.2022 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक रुपये 2000/- का डी.डी. जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के पक्ष में तैयार कर प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अमानत राशि एफडीआर के रूप में अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.08.2022 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। स्थान कलेक्ट्रेट शिवपुरी (DATCC.)

क्रं	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि वतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1	2	3	4	5
1	भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थल पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण का कार्य;	25000/-	200000/-	03 वर्ष

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक: 21/07/2022

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/135/F-10

प्रतिलिपि:-

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी शिवपुरी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/135/F-10

शिवपुरी दिनांक: 21/07/2022

//निविदा सूचना//

एतद द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, छत्री रोड, शिवपुरी पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों जो पर्यटन के क्षेत्र में पंजीकृत सहकारी संस्था से दिनांक 06.08.2022 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.07.2022 से 05.08.2022 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक रुपये 2000/- का डी.डी. जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के पक्ष में तैयार कर प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अमानत राशि एफडीआर के रूप में अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.08.2022 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। स्थान कलेक्ट्रेट शिवपुरी (DATCC.)

क्रं	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि वतार सुरक्षा निधि	समयावधि
1	2	3	4	5
1	भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थल पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण का कार्य.	25000/-	200000/-	03 वर्ष

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक: 21/07/2022

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/136/F-10

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी शिवपुरी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/183

शिवपुरी दिनांक: 08/09/2022

प्रति,

✓ 1. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक,
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड- शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- शिवपुरी जिले के पर्यटक स्थल भदैयाकुण्ड की संयुक्त दल द्वारा जांच कराने
बाबत।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि शिवपुरी जिले के पर्यटक स्थल भदैयाकुण्ड पर माधव
राष्ट्रीय उद्यान द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि वह माधव राष्ट्रीय उद्यान का है। इस संबंध में
संयुक्त दल बनाया जाता है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी व अनुविभागीय
अधिकारी (वन मण्डल) माधव राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे।

अतः भदैयाकुण्ड पर्यटक स्थल की स्वामित्व जांच कर जांच प्रतिवेदन 07
दिवस में इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित)

डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(Email- datccshivpuri@gmail.com)

क्रमांक/डीएटीसीसी/2022/P-10/135

शिवपुरी दिनांक- 21/07/2022

//निविदा सूचना//

एतद द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल शंभूया कुण्ड, छत्री रोड, शिवपुरी पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें www.shivpuri.pic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों, फर्मों जो पर्यटन के क्षेत्र में पंजीकृत सहाकारी संस्था से दिनांक 06.08.2022 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.07.2022 से 05.08.2022 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक रुपये 2000/- का डी.डी. जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के पक्ष में तैयार कर प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। स्तम्भ 01 पर अंकित अमानत राशि एकडीआर के रूप में अध्यक्ष जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.08.2022 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी।

क्र.	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि वतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1	2	3	4	5
1	शंभूयाकुण्ड शिवपुरी स्थल पर निर्मित कैफेटेरिया का 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण का कार्य	25000/-	200000/-	03 वर्ष

आवश्यक शर्तें:-

- कैफेटेरिया संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में राशि 2.00 लाख (दो लाख) रुपये की एकडीआर अध्यक्ष, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद शिवपुरी के नाम जमा करना होगी, जो ठेके के सफलता पूर्ण संचालन पूर्ण होने की स्थिति में 03 वर्ष 06 माह बाद स्वयं रहित वापस की जावेगी।
- किराये की राशि मासिक जमा की जाना होगी। मास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा। नियत अवधि में किराया जमा न करने की दशा में बनाया राशि पर बिलब अवधि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। विलम्ब 90 दिवस से अवधि पर 07 दिवस का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जावेगी।
- किन्ही भी कारणों से अनुबंध निरस्त की दशा में अमानत राशि को राजस्वत किया जावेगा। ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- किन्ही कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में या कार्य अवधि पूर्ण होने की स्थिति में संचालनकर्ता को कैफेटेरिया एवं संलग्न खुली जगह को तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा अन्यथा की दशा में 1000 प्रति दिवस के मान से अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
- संचालन कर्ता द्वारा कैफेटेरिया की संलग्न खुली जगह (2800 वर्ग फीट)का उपयोग किया जावेगा इस कार्य हेतु स्तम्भ 01 की राशि स्वयं वहन करनी होगी कैफेटेरिया की संलग्न खुली जगह के बाहर पार्किंग आयोजन के लिए संचालनकर्ता को स्वयं जवाबदार रहना होगा।


क्षेत्र व शुल्क डीएटीसीसी द्वारा तय किया जावेगी यद्यपि डीएटीसीसी ऐसी स्वीकृति के अग्य बाध्य नहीं होगी।

6. पर्यटन क्षेत्र में पंजीकृत सहकारी संस्था/फर्म एवं महिला स्व-सहायता समूह जो विगत 03 वर्ष से पर्यटन क्षेत्र में कार्य कर रही हैं एवं उसकी नियम अवधि उक्त कार्य अंकित हो तथा 03 वर्ष का विभागीय अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।
7. कैफेटेरिया एवं उसके संलग्न खुली जगह (2800 वर्ग फीट)का विद्युत व्यय स्वयं वहन करना होगा इस हेतु पृथक विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। कैफेटेरिया के संलग्न मैदान पर भी शोभायमान लाईटिंग करनी होगी।
8. कैफेटेरिया में मात्र शाकाहारी व्यंजन प्रदान किये जावेंगे। खाने का स्तर मानक गुणवत्ता का रखना होगा इस हेतु आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करनी होगी। मांसाहार, नशीले पदार्थ, मादक द्रव्यों तथा मदिरा आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
9. सफल बोलीकर्ता को डीएटीसीसी शिवपुरी द्वारा सफल बोलीकर्ता का आशय पत्र जारी किया जावेगा। आशय पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर सफल बोलीकर्ता को डीएटीसीसी के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबंध के पंजीयन का समस्त व्यय सफल बोलीकर्ता को वहन करना होगा।
10. किराया अनुबंध दिनांक से देय होगा। अनुबंध दिनांक से 15 दिवस के भीतर सफल बोलीकर्ता को संचालन प्रारंभ करना होगा यद्यपि युक्ति युक्त कारण प्राये जाने पर समय अवधि पर वृद्धि करने का अधिकार डीएटीसीसी के पास होगा। अनुबंध के समय जीएलटी रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण-पत्र करना होगा।
11. प्रतिवर्ष क्षेत्र की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव का व्यय संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
12. क्षेत्र की सुरक्षा के लिये प्राइवेट सिक्योरिटी में दो वर्दीधारी गाइ रखने होंगे, घास और सी.सी.टी.व्ही केमरे स्थापित करने होंगे।
13. संपूर्ण परिसर में पॉलिथीन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खान-पान, पार्सल हेतु पॉलिथीन की संसाधनों का प्रयोग करना होगा।
14. कैफेटेरिया का स्टाफ टैंड होगा, वर्दीधारी रहेगा, शेफ एवं वेटर, ग्लव्स का प्रयोग करेंगे तथा सभी का पुलिस बेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना डीएटीसीसी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता या ग्राहकों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर डीएटीसीसी कर्मचारी को कभी भी पृथक करने का आदेश दे सकती है। इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
15. सामग्री विक्रय की रसीद संधारित की जावेगी, सभी टेक्स अदा करने होंगे तथा केशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
16. साफ सफाई नियमानुसार करानी होगी, कचरे के निपटान के लिये नगर पालिका शिवपुरी द्वारा चिन्हित स्थान पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी।
17. कैफेटेरिया व उससे संलग्न मैदान को छोड़कर भईयाकुण्ड के शेष खुले स्थानों पर डीएटीसीसी द्वारा गुमटी एवं फेरी वाले विक्रेताओं को अनुमति दी जावेगी, जिसके संबंध में आपत्ति करने का अधिकार संचालनकर्ता का नहीं होगा।
18. संचालनकर्ता द्वारा जनहित में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
19. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, गंभीर शिकायत प्राप्त होने की स्थिति एवं अनियमितता की स्थिति में डीएटीसीसी द्वारा 15 दिवस का नोटिस दिया जाकर अनुबंध विराम किया जा सकता है। अनुबंध विराम


की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।


20. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएंगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।
21. केफेटेरिया संरचना एवं अन्य कंपस की संरचना में क्षति पहुंचाकर टूट-फूट की जाती है तो आपकी जमा अमानत राशि से बसूली की जावेगी।
22. केफेटेरिया पर विक्रय होने वाली खाद्य सामग्री की विक्रय की दरें नोडल अधिकारी से अनुमोदित करानी होंगी।


डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)


कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

- की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
20. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएंगे परंतु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।
21. केफेटेरिया संरचना एवं अन्य कंपस की संरचना में क्षति पहुंचाकर टूट-फूट की जाती है तो आपकी जमा अमानत राशि से बसूली की जावेगी।
22. केफेटेरिया पर विक्रय होने वाली खाद्य सामग्री की विक्रय की दरें मॉडल अधिकारी से अनुमोदित करानी होगी।




 डिप्टी कलेक्टर एवं सचिव
 जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
 जिला शिवपुरी (म.प्र.)


 कलेक्टर एवं अध्यक्ष
 जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
 जिला शिवपुरी (म.प्र.)



Annexure-04

ग्राम - शिवपुरी कुं नं-2
 तहसील - शिवपुरी
 जिला - शिवपुरी
 क्षेत्र सी. सं. = 300 फीट
 एन - 1262-63 ई.



कमलप्रति ठीक
 15/05/2022
 राजेश
 शिवपुरी

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्रारूप एक (निष्पन्न 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) विधम, 2020

ग्राम: शिवपुरी ट. न. 2			पटवारी हल्का: शिवपुरी			तहसील: शिवपुरी नगर			जिला: शिवपुरी		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की मुनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-मालका (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	दीरघी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर किस/किसी अन्य प्रकार का अधिकार है 1. अधिकार 2. रबी 3. भू-अर्जन 4. अन्य	कमत के अधीन फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	कमत के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि की सिंचनी संबंधी प्रारंभिकता 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अधिकृतियाँ 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के अवधि
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8305V8843, RUHO	1485 (S)		0.0210 हेक्टेयर								अबाटी (गोंयजन) 0.0210
			अबाटी (गोंयजन) 0.0210								अर्जियाँ कुंड
			8.0.00								

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में लक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

दि

नयापन
दि. 3.7.22
पञ्चाय
दि. 5.7.22




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सकलता की प्रतिनिधि

वर्ष: 2022-23

दिनांक: 01-02-2023 15:01:05



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	शिवपुरी टु.न.2	शिवपुरी	शिवपुरी नगर	शिवपुरी
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू-राजस्व	मापक 1:4000 (एह आकर A4)	
1485(S)	0.0210(हेक्ट.)	0.00	0 20 40 80 120 160 200m	

भूस्वामी: (मासकीय)

Shankar
 डि. 6.11.23
 प्रशा.
 (2)-6.11.23
 (सन्तुष्ट)

नोट -
 1. यह आलेख केवल जमीनी की जानकारी के लिये है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में सरकार के हित में नहीं किया जा सकता है।
 3. डिजिटली साइन की गई है किंग, आई. टी. सेक्टर से अलग कीमतीकरण कार्यक्रम करें।

सम्यक्देश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

सम्यक्देश भू-सूचना संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: शिवपुरी ट. न. 2			पटवारी हस्ता: शिवपुरी			तहसील: शिवपुरी नगर			जिला: शिवपुरी		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की युनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)		प्रत्येक भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	1. सरकारी बट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	दीरुची कृषक (यदि कोई हो) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर किलिंग/नवी प्रभार 1. खेपक 2. एहिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	काल के ब्लॉक	काल के ब्लॉक	वर्ष 2022-2023
			उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है	2. यासहीत भूमि							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830ASD0MCLMHH4	1484 (S)		1.4210 हेक्टेयर								पत्तार 1.4210
			पत्तार 1.4210								
			₹.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईंठ कौड़ी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

कंधल
कालिका
42021
21/03/2022

दि




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिनिधि

वर्ष: 2022-23

दिनांक: 01-02-2023 10:02:44



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	शिवपुरी टु.न. 2	शिवपुरी	शिवपुरी नगर	शिवपुरी
सर्वेक्षण सं.	शेखरपुर	मू-राजस्थ	मापक 1:4000 (एच आकर A4) 	
1484(S)	1.4210(हेक्ट.)	0.00		
भूस्वामी : (शासकीय)				
			(हस्ताक्षर)	

- नोट :-
1. यह नक्शा केवल धारणी की जानकारी के लिये है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में समुदाय के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. विभिन्न लंबाई की छवि के लिए आई. टी. सेंटर से कृपया ऑनलाइन आवेदन करें।